कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार करने वाला दिल्ली निवासी सरगना की जमानत याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(01/25, दिनांक 08.01.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इन्दौर के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को अनुसूची– IV में सूचीबद्ध दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (*Iguana iguana*) एवं एंपरर स्कॉर्पियन (*Pandanus imperator*) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49 एम एवं 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियां संबंधी नियम 2024 के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक गोयल निवासी दिल्ली को दिनांक 08.06.24 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई।

उक्त आरोपी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर जमानत याचिका की दिनांक 07.01.2025 को विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज किया गया। इसके पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के द्वारा 03 बार व अन्य विभिन्न माननीय न्यायालयों के द्वारा 03 बार उक्त आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। आरोपी जिला जेल इंदौर में विगत् 06 माह से निरूद्य है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

ऑपरेशन "वाइल्ड ट्रेप" के अंतर्गत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर व वनमंडल जबलपुर द्वारा वन्यजीव अपराध में संलिप्त 02 आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(02/25, दिनांक 09.01.2025)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा वन एवं वन्यजीव व उनके रहवास की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.12.2024 से 31.01.2025 तक राज्यव्यापी ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप'' चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत शीत ऋतु में वन विभाग के अमले द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक गश्ती की जाकर शिकार में प्रयुक्त फंदा, विद्युत करंट, खटका (Leg Hold Trap), आग्नेय शास्त्र इत्यादि को जप्त करने एवं वन्यजीव का शिकार करने वाले आदतन आरोपियों/वन माफियाओं पर कार्यवाही की जाकर निगरानी की जा रही है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई जबलपुर के द्वारा दिनांक 06.01.2025 को वनमण्डल जबलपुर के संयुक्त दल द्वारा बस स्टेण्ड, हाट बजार व घुमक्कड समुदाय के डेरों की सर्चिंग की गई जिसमें कक्ष क्रमांक 0478 नारंगी क्षेत्र के समीप एक घुमक्कड समुदाय का डेरा लगा पाया जिसकी तलाशी करने पर लगभग एक क्विंटल जंगली सुअर का मांस अलग–अलग पोटलियों में छुपाया हुआ जप्त किया गया, साथ ही शिकार के विभिन्न औजार, कुल्हाड़ी, फंदे, जाल, खूँटी, खुरपा, गुलेल, तांत रस्सी आदि भी जप्त कर वन अपराध प्रकरण 3744/11 दिनांक 06.01.2025 दर्ज कर मौके से 02 आरोपी होटल आदिवासी एवं खिलोटन आदिवासी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को स्थानीय अमले द्वारा माननीय न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा
बाघ के शिकार में शामिल बेल जम्प आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती
(03/25, दिनांक 09.01.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश व इकाई जबलपुर द्वारा जून 2023 में अनुसूची–I के वन्यजीव बाघ खाल की तस्करी व अवैध व्यापार करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही कर 03 आरोपियों को जोगी टिकरिया के पास डिण्डोरी से गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण 237/08 दिनांक 02.06.2024 दर्ज किया गया था।

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर द्वारा आरोपी हीरा सिंह गौड़ के विरूद्ध यह 05 वॉ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था उक्त आरोपी नवम्बर 2024 से बेल जम्प कर फरार था। मुखबिर तंत्र विकसित कर व सतत् प्रयास से दिनांक 08.01.2025 को अमरपुर के निकट मोहनजर पाहड़ी डिण्डोरी से स्थानीय वन अमले की सहायता से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया व एसटीएसएफ विशेष न्यायालय जिला जबलपुर में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में स्थानीय वन अमले का सहयोग सराहनीय रहा।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव जंगली सुअर, हायना व सियार को करेन्ट लगाकर शिकार करने वाला आरोपी एसटीएसएफ जबलपुर द्वारा गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(04 / 25, दिनांक 21.01.2025)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा वन एवं वन्यजीव व उनके रहवास की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.12.2024 से 31.01.2025 तक राज्यव्यापी ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप'' चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत शीत ऋतु में वन विभाग के अमले द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक गश्ती की जाकर शिकार में प्रयुक्त फंदा, विद्युत करंट, खटका (Leg Hold Trap), आग्नेय शास्त्र इत्यादि को जप्त करने एवं वन्यजीव का शिकार करने वाले आदतन आरोपियों / वन माफियाओं पर कार्यवाही की जाकर निगरानी की जा रही है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई जबलपुर के द्वारा दिनांक 17.01.2025 को वन विकास निगम कुडंम परियोजना के परिक्षेत्र चेरापौडी संयुक्त दल द्वारा ग्राम डभौला तह. शाहपुरा जिला जबलपुर में तलाशी करने पर करेन्ट से मृत हायना, मृत सियार पाये गये व मौका स्थल से जी.आई तार लकडी की खुटिया जप्त की व मौके के पास से ही एक आरोपी भूरालाल को जंगली सुअर के मांस खाते समय गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण 225 / 02 दिनांक 17.01.2025 दर्ज कर पूछताछ की। आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर करेन्ट से जंगली सुअर, हायना व सियार को करेन्ट लगा कर मारना स्वीकार किया गया। आरोपी को स्थानीय अमले द्वारा माननीय न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दिनांक 20.01.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की जमानत याचिका भी निरस्त की गई।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

ऑपरेशन "वाइल्ड ट्रेप" के अंतर्गत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर व पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ के शिकार में संलिप्त 02 आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(05/25, दिनांक 21.01.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल एवं टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये वन्यप्राणी बाघ के अवयवों के अवैध व्यापार व शिकार में लिप्त 04 आरोपियों को बालाघाट से वन्यप्राणी बाघ की 49 हड्डियॉ, 14 नाखून व 31 मूंछ के बाल का अवैध व्यापार करते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण क्रमांक 237/09 दिनांक 07.08.2023 दर्ज किया गया था।

मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे ''ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप'' के तहत लगातार फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। उक्त प्रकरण में अन्य 03 आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थें मुखबिर की पुख्ता सूचना के आधार पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर व पेंच टाइगर रिजर्व के अमले के संयुक्त दल द्वारा पांढरवानी जिला सिवनी आरोपी बस्तीराम पिता फोगल जिला सिवनी व मंगलीराम पिता मानसिंह जिला सिवनी को गिरफ्तार कर माननीय सीजेएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण में कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 07 है। पूर्व में गिरफ्तार 04 आरोपियों की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा खारिज की जा चुकी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के मॉस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती

(06 / 25, दिनांक 24.01.2025)

वनमण्डल इंदौर के परिक्षेत्र महु एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीव कृष्णमृग (Black Buck), चिंकारा का शिकार कर उसके मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, इम्तियाज पिता शकील खान, सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) को 65 कि.ग्रा. (लगभग) काले हिरण का मॉस, 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच–02–ई.पी.–4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675 / 09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

उक्त प्रकरण में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर के द्वारा प्रकरण की विवेचना में सहायता प्रदान की गई जिससें पूर्व में माननीय ट्रायल न्यायालय महू एव अपर सत्र न्यायालय महू के द्वारा जोहर हुसैन पिता इब्राहित की जमानत याचिका खारिज की गई जिसके बाद आरोपी जोहर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर में जमानत याचिका दायर की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 23.01.2025 को विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज किया गया। आरोपी जोहर व 02 अन्य सह आरोपी उप जेल महू में निरूद्य है।

प्राधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप के अंतर्गत 1 वर्ष 08 माह से फरार आरोपी जहॉगीराबाद भोपाल से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(07/25, दिनांक 29.01.2025)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा वन एवं वन्यजीव व उनके रहवास की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.12.2024 से 31.01.2025 तक राज्यव्यापी ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप'' चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत शीत ऋतु में वन विभाग के अमले द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक गश्ती की जाकर शिकार में प्रयुक्त फंदा, विद्युत करंट, खटका (Leg Hold Trap), आग्नेय शास्त्र इत्यादि को जप्त करने एवं वन्यजीव का शिकार करने वाले आदतन आरोपियों/वन माफियाओं पर कार्यवाही की जाकर निगरानी की जा रही है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की इकाई इंदौर द्वारा मई 2023 में अनुसूची–II के वन्यजीव Plum-heded Parkeet 35 नग एवं Rose-ringed Parkeet 16 नग की तस्करी व अवैध व्यापार करने वाले संगठित गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही कर 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण 237/06 दिनांक 20.05.2023 दर्ज किया गया था। ऑपरेशन वाईल्ड ट्रैप के अंतर्गत 1 वर्ष एवं 08 माह से फरार आरोपी को पकडने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित कर व सतत् प्रयास से दिनांक 28.01.2025 को जहॉगीराबाद जिला भोपाल से अपराध में शामिल आरोपी यासिन अली को गिरफ्तार कर एसटीएसएफ विशेष न्यायलय जिला इंदौर में प्रस्तुत कर फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड हेतु आवेदन दिया गया।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

इंदौर स्थित फार्म हाउस से विभिन्न अनुसूची के वन्यजीव सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(08/25, दिनांक 03.02.2025)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा वन एवं वन्यजीव व उनके रहवास की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.12.2024 से 31.01.2025 तक राज्यव्यापी ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप'' चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत शीत ऋतु में वन विभाग के अमले द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक गश्ती की जाकर शिकार में प्रयुक्त फंदा, विद्युत करंट, खटका (Leg Hold Trap), आग्नेय शास्त्र इत्यादि को जप्त करने एवं वन्यजीव का शिकार करने वाले आदतन आरोपियों/वन माफियाओं पर कार्यवाही की जाकर निगरानी की जा रही है।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई इंदौर के द्वारा दिनांक 31.01.2025 को वनमंडल इंदौर के संयुक्त दल द्वारा इंदौर में एक फार्म हाउस से अनुसूची-I के वन्यजीव Blackbuck 01 (जीवित) अनुसूची-II के Plum-heded Parkeet 02 नग, Rose-ringed Parkeet 02 नग, एक्सोटिक बर्ड 03 नग एवं Blackbuck का सींग जप्त कर मौके से आरोपी अनिल पिता संतोष गावड़े निवासी इंदौर (फार्म मालिक) व सागरमल पिता मानसिंह अग्रवाल निवासी बरोठ जिला देवास गिरफ्तार कर वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण 420/25 दिनांक 31.01.2025 दर्ज कराया गया। आरोपियों को स्थानीय अमले द्वारा माननीय न्यायालय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा विवेचना में सहयोग किया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

1 वर्ष 08 माह से फरार आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय द्वारा खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(09/25, दिनांक 07.02.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की इकाई इंदौर द्वारा मई 2023 में अनुसूची–II के वन्यजीव Plum-heded Parkeet 35 नग एवं Rose-ringed Parkeet 16 नग की तस्करी व अवैध व्यापार करने वाले संगठित गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही कर 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण 237/06 दिनांक 20.05.2023 दर्ज किया गया था। ऑपरेशन वाईल्ड ट्रैप के अंतर्गत मुखबिर तंत्र विकसित कर व सतत् प्रयास से दिनांक 28.01.2025 को 1 वर्ष एवं 08 माह से फरार आरोपी यासिन अली को जहॉगीराबाद जिला भोपाल से गिरफ्तार किया था।

उक्त आरोपी यासिन अली ने माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय इंदौर के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसकी विस्तृत सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुये **भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 483 के तहत** निरस्त की। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप के अंतर्गत विभिन्न वन अपराधों में 429 आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(10 / 25, दिनांक 11.02.2025)

मध्यप्रदेश वन एवं वन्यजीव संपदा की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। विशाल वन क्षेत्र एवं वन्यजीवों की बहुलता के कारण इनके संरक्षण, संवर्धन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रदेश में 02 राष्ट्रीय उद्यान, 08 टाइगर रिजर्व, 63 सामान्य वनमंडल एवं 11 परियोजना मंडल है तथा वन्यजीवों के वास स्थल पर बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन्यजीवों के शिकार परिवहन एवं संगठित गिरोह द्वारा राज्य व राज्य के बाहर ही नही अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की तस्करी / शिकार जैसे अपराध को ध्यान में रख कर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग अंतर्गत वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.12.2024 से 31.01.2025 तक राज्यव्यापी ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप'' चलाया गया। ऑपरेशन के तहत शीत ऋतु में वन विभाग के अमले द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा हेतु सामुहिक गश्ती की जाकर शिकार में प्रयुक्त फंदा, विद्युत करंट, खटका (Leg Hold Trap) इत्यादि को जप्त करने एवं वन्यजीव का शिकार करने वाले आदतन आरोपियों की निगरानी की गई। इसी क्रम में प्रत्येक टाइगर रिजर्व / सामान्य वनमंडल / परियोजना मंडल / राष्ट्रीय उद्यान में नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा अपने–अपने अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में ऑपरेशन वाइल्डट्रेप के तहत् निष्पादित कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रस्तुत की गयी है।

विगत 02 माह में मध्यप्रदेश वन विभाग के स्थानीय वन अमले (टाइगर रिजर्व / सामान्य वनमंडल / परियोजनामंडल / 15 श्वान दल) द्वारा ऑपरेशन वाइल्ड ट्रेप के तहत् जारी दिशा–निर्देशों का सुचारू संपादन करते हुए वन्यजीव सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। **ऑपरेशन वाइल्डट्रेप में की गई कार्यवाही का विवरण–**

शामिल अधिकारी / कर्मचारी की संख्या	कुल पैदल गस्ती	कुल वाहन द्वारा गस्ती	दर्ज वन अपराध प्रकरण	निगरानीशुदा आरोपियों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जप्त वाहन की संख्या
22,610	828518 कि.मी.	1783010 कि.मी	931	3160	429	328

उक्त ऑपरेशन में संगठित वन्यजीव अपराध नियंत्रण एवं अन्वेषण हेतु आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ–साथ समर्पण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को विशिष्ट अवसर पर सम्मानित किया जावेगा।

(एल. कृष्णमूर्ति)
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीवों के आग्नेय शस्त्र से शिकार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(11/25, दिनांक 15.02.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश को पोलीस उपायुक्त, नागपुर शहर के अपराध अंतर्गत दर्ज अपराध क्रमांक 324/2024 की विवेचना में आरोपी राजा शरीफ पिता जमशेद शरीफ नागपुर एवं सिवनी (म.प्र.) वन्यजीवों के शिकार में लिप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। आरोपी के पास से जप्त मोबाईल में सिवनी बरघाट के जंगल में वन्यजीव सांभर, चीतल तथा नीलगाय का आग्नेय शस्त्र से रात्रि के समय संगठित होकर उनके प्राकृतिक आवास में अवैध प्रवेश कर शिकार कर बनाये गये फोटो एवं विडियो पाये गये। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा विधिपूर्ण व त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी राजा शरीफ को नागपुर से व आरोपी आमिर अजीज, आरोपी जाफर खान, आरोपी शादाब खान को सिवनी के विभिन्न स्थलो से गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/16 दिनांक 03.08.2024 दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई के द्वारा प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया, जप्त मोबाईल की फॉरेन्सिक जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त की गई, आरोपियों की निशानदेही पर घर से फॉरेन्सिक टीम की सहायता से वन्यजीवों के अवयवों की जप्ती की गई। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा की गई सटीक विवेचना के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकरण में शामिल आरोपी जाफर खान की **जमानत याचिका क्रमांक एमसीआरसी 4474/2025 को विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज किया गया**। इसके पूर्व भी प्रकरण में शामिल आरोपियों की जमानत याचिका माननीय ट्रायल न्यायालय, सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश से खारिज की जा चुकी है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के मॉस के साथ गिरफ्तार आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती

(12 / 25, दिनांक 19.02.2025)

वनमण्डल इंदौर के परिक्षेत्र महु एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीव कृष्णमृग (Black Buck), चिंकारा का शिकार कर उसके मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, इम्तियाज पिता शकील खान, सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) को 65 कि.ग्रा. (लगभग) काले हिरण का मॉस, 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच–02–ई.पी.–4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675 / 09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

उक्त प्रकरण में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर के द्वारा प्रकरण की विवेचना एवं अभियोजन में सहायता प्रदान की गई जिससें पूर्व में माननीय ट्रायल न्यायालय महू एव अपर सत्र न्यायालय महू एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ द्वारा जोहर हुसैन पिता इब्राहित की जमानत याचिका खारिज की गई जिसके बाद आरोपी जोहर द्वारा अपनी अधिक उम्र एवं गंभीर बिमारी का हवाला देते हुये पुनः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर में जमानत याचिका दायर की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 18.02.2025 को विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज किया गया। आरोपी जोहर व 02 अन्य सह आरोपी उप जेल महू में निरूद्य है।

प्राधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं बाघ के अवयवों की तस्करी में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(13/25, दिनांक 22.02.2025)

वनमंडल गोंदिया महाराष्ट्र के अंतर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 04547/113670/2025 दिनांक 13.02.25 में गिरफ्तार आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत दर्ज कथन अनुसार आरोपी द्वारा उसके साथियों से जिन्होनें बालाघाट मध्यप्रदेश में बाघ का शिकार किया था, से बाघ की खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में बेचा जाना बताया। वन्यजीव मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी के विरूद्ध स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज किया गया।

आरोपी के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रोडक्सन वारंट जारी करवाकर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी सोनू पिता रंजीत बावरिया को केन्द्रीय जेल चन्द्रपुर महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आरोपी को 7 दिवस की फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्राधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार में शामिल स्थायी वारंटी व ईनामी आरोपी उ0प्र0 के बुलंदशहर से एसटीएसएफ द्वारा गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(14 / 25, दिनांक 27.02.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इन्दौर के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को अनुसूची– IV में सूचीबद्ध दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (*Iguana iguana*) एवं एंपरर स्कॉर्पियन (*Pandanus imperator*) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49 एम एवं 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियां संबंधी नियम 2024 के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण क्रमांक 237/14 दिनांक 25.05.24 दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक गोयल निवासी दिल्ली को दिनांक 08.06.24 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा लगातार की जा रही छापामार कार्यवाही से परेशान होकर आरोपी उत्कर्ष द्वारा माननीय ट्रायल न्यायालय इंदौर व उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई जिसे माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाकर उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वन्यजीव मुख्यालय द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000 रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की इंदौर इकाई के दल द्वारा राज्य के बाहर उत्तरप्रदेश जाकर मुखबिर तंत्र विकसित कर प्रकरण में लगभग 10 माह से फरार स्थाई वारंटी एवं ईनामी आरोपी उत्कर्ष अग्रवाल पिता नवीन अग्रवाल को बुलंदशहर उत्तप्रदेश से दिनांक 26.02.25 को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार आरोपी आदतन आरोपी है, जिनके विरूद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण विभिन्न कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा दर्ज किये गये है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय इंदौर में पेश कर 5 दिवस की फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं बाघ के अवयवों की तस्करी में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का दूसरा सदस्य भी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(15/25, दिनांक 28.02.2025)

वनमंडल गोंदिया महाराष्ट्र के अंतर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 04547/113670/2025 दिनांक 13.02.25 में गिरफ्तार आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत दर्ज कथन अनुसार आरोपी द्वारा उसके साथियों से जिन्होनें बालाघाट मध्यप्रदेश में बाघ का शिकार किया था, से बाघ की खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में बेचा जाना बताया। वन्यजीव मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी के विरूद्ध स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज किया गया।

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रोडक्सन वारंट जारी करवाकर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी लालनेसंग पिता लाल्टलानथग निवासी शिलांग, (मेघालय) केन्द्रीय जेल चन्द्रपुर महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आरोपी को 4 दिवस की फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है साथ ही उक्त प्रकरण में पूर्व में प्रोडक्शन वारंट पर लाये गये आरोपी सोनू पिता रंजीत बावरिया को माननीय न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर पुनः 4 दिवस की फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड पर लेकर विवेचना की जा रही है।

प्राधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार करने वाला दिल्ली निवासी सरगना की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायाल म.प्र. खण्डपीठ इंदौर से आठवी बार खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(16/25, दिनांक 01.03.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इन्दौर के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को अनुसूची– IV में सूचीबद्ध दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (*Iguana iguana*) एवं एंपरर स्कॉर्पियन (*Pandanus imperator*) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49 एम एवं 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियां संबंधी नियम 2024 के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण क्रमांक 237/14 दिनांक 25.05.24 दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक गोयल निवासी दिल्ली को दिनांक 08.06.24 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई।

उक्त आरोपी के द्वारा अपने माता पिता की बिमारी के आधार पर उनके इलाज हेतु अंतरिम जमानत याचिका लगाई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर द्वारा चिकित्यकीय दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश के पालन में एसटीएसएफ इकाई इंदौर के द्वारा एक दल गठित कर दिल्ली भेजा गया, दल द्वारा दिल्ली के 06 हॉस्पिटलों से दस्तावेजों के सत्यापन कार्यवाही कर रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 28.02.2025 को विस्तृत सुनवाई एवं एसटीएसएफ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 04 बार व अन्य विभिन्न माननीय न्यायालयों के द्वारा 03 बार व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 1 बार उक्त आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

माननीय प्रथम अपर सेशन न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ व पेंगोलिन के शिकार एवं अवैध व्यापार प्रकरण में सभी आरोपियो को 05–05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा यथावत

प्रेस विज्ञप्ती

(17 ⁄ 25, दिनांक 05.03.2025)

सतपुडा टाइगर रिजर्व के द्वारा वन्यप्राणी बाघ व पेंगोलिन अंगो की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार एवं तस्करी संबंधी अपराध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2(16बी) 9, 39, 44, 48ए, एवं 50 के अन्तर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण 14198 ⁄ 03 दिनांक 13. 07.2015 दर्ज किया गया था। प्रकरण की गंभीरता एवं आरोपियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संलिप्तता को देखते हुये प्रकरण को वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को हस्तांतरित किया गया। जनवरी 2015 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. भोपाल, अधीनस्थ क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम के द्वारा सतपुडा टाइगर रिजर्व के सहयोग से 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 02 आरोपियों की फौत हो गई। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार अंतर्राष्ट्रीय मुख्य सरगना जेई तमांग फरार हैं जिसके विरूद्ध इंटरपोल द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है एवं आरोपी की तलाश जारी है।

प्रकरण में सुनवाई के दौरान माननीय विशेष न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा शासन का मजबूत पक्ष रखते हुए पैरवी की गई जिसमें जांच एजेंसी द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया। माननीय विशेष न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा **प्रकरण की सुनवाई** पूर्ण कर 27 आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51(1) के अंतर्गत दोषी मानते हुये **05–05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल सात लाख दस हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय नर्मदापुरम में उक्त निर्णय के विरूद्ध कुल 27 आरोपियों (जिसमें 01 आरोपी फौत) ने अपील दायर की थी। दिनांक 04.03.2025 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश जिला नर्मदापुरम द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुये कुल 26 आरोपियों की सजा को बरकरार रखा।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ व पेंगोलिन के शिकार कराकर उनके अवयवों की तस्करी में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की महिला आरोपी गिरफ्तार

प्रेसविज्ञप्ती,

(18/25,दिनांक 06.03.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली से प्राप्त अलर्ट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.08.2023 को अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात वन्यजीव तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 237/10 दिनांक 18.08.2023 पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना के दौरान पुजारी सिंह वल्द रामकुमार सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया था। उक्त आरोपी के विरूद्ध महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार के संबंध में कई प्रकरण दर्ज है। उक्त दोनों आरोपियों के द्वारा अपने बयान में वन्यजीव अवयवों को रिंडिक टेरोंपी निवासी असम को बेचना बताया था।

आरोपी रिंडिक टेरोंपी के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा प्रोडक्सन वारंट जारी करवाकर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई भोपाल द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी रिंडिक टेरोंपी निवासी असम, केन्द्रीय जेल गुवाहाटी असम से मध्यप्रदेश लाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष प्रस्तुत करते हुये उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर 5 दिवस की फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं बाघ के अवयवों की तस्करी में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का तीसरा सदस्य (महिला आरोपी) भी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(19/25, दिनांक 07.03.2025)

वनमंडल गोंदिया महाराष्ट्र के अंतर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 04547/113670/2025 दिनांक 13.02.25 में गिरफ्तार आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत दर्ज कथन अनुसार आरोपी द्वारा उसके साथियों से जिन्होनें बालाघाट मध्यप्रदेश में बाघ का शिकार किया था, से बाघ की खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में बेचा जाना बताया। वन्यजीव मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी के विरूद्ध स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज किया गया।

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रोडक्सन वारंट जारी करवाकर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी निंग सान लून निवासी ईस्ट खासी (मेघालय) को केन्द्रीय जेल चन्द्रपुर महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर गिरफ्तार कर आरोपी को 4 दिवस की फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड पर लेकर विवेचना की जा रही है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी, वनमंडल श्योपुर व स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ग्वालियर द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये जिन्दा वन्यजीव व वन्यजीव अवयव सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(20/25, दिनांक 12.03.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी, वनमंडल श्योपुर व स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ग्वालियर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये कूनों के जंगलों में शिकार कर उनके अवयवों की तस्करी करने वाले 02 आरोपी को दिनांक 11–12.03.25 को बस स्टैण्ड श्योपुर के आस–पास संयुक्त दल बनाकर कर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर बोलेरो वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई जिसमें वन्यजीव सांभर (अनुसूची–I) के 11 नग सिंग व 01 जिंदा जंगली खरगोश, 1 ऋषिकेश मीणा निवासी करनपुर जिला करौली राजस्थान व 2.सखी आदिवासी (महिला) निवासी लिखारा जिला श्योपुर को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 306/22 दिनांक 12.03.25 वनमंडल श्योपुर द्वारा दर्ज किया गया।

उक्त दोनो आरोपियों को स्थानीय अमले द्वारा माननीय न्यायालय श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर आरोपी ऋषिकेश को 02 दिन की पुलिस/फॉरेस्ट रिमांड पर लिया गया व महिला आरोपी सखी को माननीय न्यायालय द्वारा जिला जेल शिवपुरी भेजा गया। प्रकरण में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी द्वारा विवेचना में सहयोग किया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी

कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष– एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं बाघ के अवयवों की तस्करी में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का चौथा सदस्य भी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(21/25, दिनांक 13.03.2025)

वनमंडल गोंदिया महाराष्ट्र के अंतर्गत दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 04547/113670/2025 दिनांक 13.02.25 में गिरफ्तार आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50(8) के अंतर्गत दर्ज कथन अनुसार आरोपी द्वारा उसके साथियों से जिन्होनें बालाघाट मध्यप्रदेश में बाघ का शिकार किया था, से बाघ की खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में बेचा जाना बताया। वन्यजीव मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी के विरूद्ध स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज किया गया।

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रोडक्सन वारंट जारी करवाकर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी जामखानकाप निवासी थुम्पुई जिला आईजोल (मिजोरम) को केन्द्रीय जेल चन्द्रपुर महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर गिरफ्तार कर आरोपी को 2 दिवस की फॉरेस्ट/पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चन्द्रपुर जेल भेजा गया।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार करने वाला दिल्ली निवासी सरगना की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर से नौवी बार खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(22 / 25, दिनांक 29.03.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इन्दौर के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को अनुसूची– IV में सूचीबद्ध दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (*Iguana iguana*) एव एंपरर स्कॉर्पियन (*Pandanus imperator*) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49 एम एवं 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियां संबंधी नियम 2024 के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण 237 / 14 दिनांक 25.05.24 दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक निवासी दिल्ली को दिनांक 08.06.24 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई।

उक्त आरोपी कार्तिक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर में पांचवी बार जमानत याचिका लगाई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 27.03.2025 को एसटीएसएफ व अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज की गई। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. इंदौर के द्वारा 05 बार व अन्य विभिन्न माननीय न्यायालयों के द्वारा 03 बार व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 1 बार उक्त आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीवों के आग्नेय शस्त्र से शिकार करने वाले गिरोह का पांचवा सदस्य गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(23 / 25, दिनांक 08.04.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश को पोलीस उपायुक्त, नागपुर शहर के अपराध अंतर्गत दर्ज अपराध क्रमांक 324 / 2024 की विवेचना में आरोपी राजा शरीफ पिता जमशेद शरीफ नागपुर एवं सिवनी (म.प्र.) वन्यजीवों के शिकार में लिप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। आरोपी के पास से जप्त मोबाईल में सिवनी बरघाट के जंगल में वन्यजीव सांभर, चीतल तथा नीलगाय का आग्नेय शस्त्र से रात्रि के समय संगठित होकर उनके प्राकृतिक आवास में अवैध प्रवेश कर शिकार कर बनाये गये फोटो एवं विडियो पाये गये। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा विधिपूर्ण व त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी राजा शरीफ को नागपुर से व आरोपी आमिर अजीज, आरोपी जाफर खान, आरोपी शादाब खान को सिवनी के विभिन्न स्थलो से गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 16 दिनांक 03.08.2024 दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई के द्वारा प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया, जप्त मोबाईल की फॉरेन्सिक जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त की गई, आरोपियों की निशानदेही पर घर से फॉरेन्सिक टीम की सहायता से वन्यजीवों के अवयवों की जप्ती की गई। प्रकरण में फरार आरोपी क्लीमेन्ट युजीन को जबलपुर से दिनांक 07.04.25 को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु केन्द्रीय जेल जबलुपर भेजा गया। प्रकरण की विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीवों के आग्नेय शस्त्र से शिकार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका माननीय अपर सत्र न्यायालय जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(24 / 25, दिनांक 16.04.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश को पोलीस उपायुक्त, नागपुर शहर के अपराध अंतर्गत दर्ज अपराध क्रमांक 324 / 2024 की विवेचना में आरोपी राजा शरीफ पिता जमशेद शरीफ नागपुर एवं सिवनी (म.प्र.) वन्यजीवों के शिकार में लिप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। आरोपी के पास से जप्त मोबाईल में सिवनी बरघाट के जंगल में वन्यजीव सांभर, चीतल तथा नीलगाय का आग्नेय शस्त्र से रात्रि के समय संगठित होकर उनके प्राकृतिक आवास में अवैध प्रवेश कर शिकार कर बनाये गये फोटो एवं विडियो पाये गये। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा विधिपूर्ण व त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी राजा शरीफ को नागपुर से व आरोपी आमिर अजीज, आरोपी जाफर खान, आरोपी शादाब खान को सिवनी के विभिन्न स्थलो से गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 16 दिनांक 03.08.2024 दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में फरार आरोपी क्लीमेन्ट युजीन को जबलपुर से दिनांक 07.04.25 को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु केन्द्रीय जेल जबलुपर भेजा गया। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा प्रकरण में की गई सटीक विवेचना अभियोजन पक्ष के द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर उक्त आरोपी क्लीमेन्ट की जमानत याचिका माननीय अपर सत्र न्यायालय जबलपुर के द्वारा खारिज की गई। इसके पूर्व भी विभिन्न माननीय न्यायालयो के द्वारा प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की जमानत याचिका कई बार खारिज की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ का करेन्ट लगाकर शिकार करने वाले गिरोह का चौथा सदस्य भी गिरफ्तार

प्रेसविज्ञप्ती,

(25/25,दिनांक 18.04.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये बालाघाट जिले से 03 आरोपियों 1. मुन्ना लाल धुर्वे 2. तेजराम व 3. अशोक मरकाम को बाघ के अवयवों (03 केनाइन) के साथ गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/15 दिनांक 10.07.2024 दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बाघ को करेन्ट लगाकर मारना बताया तथा बताये गये स्थल की स्थानीय अमले के साथ मौका शिनाख्ति में एक गडडे से खोदकर बाघ के शरीर की लगभग छोटी बडी सभी हड्डिया (98 नग) एवं नाखून को निकालकर विधिवत जप्त कर विभिन्न फॉरेन्सिक लैब भेजा गया।

दिनांक 17.04.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई द्वारा गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुये मंडला जिले के बिछिया बस स्टेण्ड से घेराबंदी कर प्रकरण में 7 माह से फरार आरोपी जगदीश उर्फ अंश मरकाम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई व उक्त आरोपी को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा अंतर्राज्जीय विर्निदिष्ट सागौन तस्करी गिरोह के 1 आरोपी को गिरफ्तार कर सागौन से भरा ट्रक जप्त

प्रेस विज्ञप्ती

(26 / 25, दिनांक 07.05.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को मुखबिर से भारी मात्रा में सागौन कटाई कर अवैघ परिवहन की सूचना प्राप्त हुई, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.,इकाई भोपाल एवं वनमंडल रतलाम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये देवास एवं इंदौर के वनक्षेत्र में अवैध कटाई कर भारी मात्रा में सागौन की अवैध परिवहन व व्यापार करने वाले अंतर्राज्जीय गिरोह के द्वारा मध्यप्रदेश से भीलवाड़ा राजस्थान परिवहन करते हुये सागौन से लदे **आईसर ट्रक एचआर 55 व्ही 2383** को जावरा नयागांव टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर पकडा गया। जिसमें लगभग 5.5 घनमीटर अवैध रूप से काटी गई सागौन (44 नग लट्ठे) जप्त कर 1 आरोपी रामप्रसाद बागरी (ड्राइवर) पिता कैलाश बागरी निवासी ग्राम हाटपिपालिया जिला देवास को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 78 / 21 दिनांक 05.05.25 वनमंडल रतलाम के द्वारा दर्ज कराया गया।

उक्त आरोपी रामप्रसाद पर देवास जिले में भी सागौन की अवैध तस्करी के प्रकरण दर्ज है जिसे हेतु देवास वनमंडल द्वारा अपने प्रकरण में पूछताछ की जा रही है प्रकरण में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा विवेचना में सहयोग किया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी

कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष– एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार में शामिल स्थायी वारंटी व ईनामी आरोपी निवासी बुलंदशहर उ0प्र0 की जमानत याचिका माननीय अपर सत्र न्यायालय इंदौर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(27 / 25, दिनांक 07.05.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इन्दौर के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को अनुसूची– IV में सूचीबद्ध दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (*Iguana iguana*) एवं एंपरर स्कॉर्पियन (*Pandanus imperator*) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49 एम एवं 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियां संबंधी नियम 2024 के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण क्रमांक 237 / 14 दिनांक 25.05.24 दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक गोयल निवासी दिल्ली को दिनांक 08.06.24 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की इंदौर इकाई के दल द्वारा राज्य के बाहर उत्तरप्रदेश जाकर मुखबिर तंत्र विकसित कर प्रकरण में लगभग 10 माह से फरार स्थाई वारंटी एवं 5000 रूपये ईनामी आरोपी उत्कर्ष अग्रवाल पिता नवीन अग्रवाल को बुलंदशहर उत्तप्रदेश से दिनांक 26.02.25 को गिरफ्तार किया, उक्त आरोपी आदतन आरोपी है, जिनके विरूद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण विभिन्न कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा दर्ज किये गये है। उक्त आरोपी के द्वारा माननीय अति. अपर सत्र न्यायालय इंदौर विशेष न्यायालय क्रं.–7 में जमानत याचिका CIS No- BA/24364/2025 लगाई गई थी। दिनांक 06.05.2025 को अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा एसटीएसएफ व अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज की गई। उक्त प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिकाये माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार खारिज की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी

कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष– एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in
प्रेस विज्ञप्ती (28 / 25, दिनांक 09.05.2025)

***अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर को सजा:
स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक कार्रवाई***

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा को नौ साल की जांच के बाद, अंततः 25.01.2024 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पानी टंकी, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में गिरफ्तार किया गया और अंततः 09.05.2025 को दोषी ठहराया गया।

जुलाई 2015 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम में बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की चीन में अवैध तस्करी संबंधी प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें ताशी शेरपा वांछित था। प्रकरण की गंभीरता के कारण इसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना हेतु सौंप दिया गया। एसटीएसएफ ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विस्तृत सुनवाई के बाद दिसंबर 2022 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ने 27 आरोपियों (दो मृत और एक फरार) को दोषी ठहराया और उन्हें 05-05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

ताशी शेरपा को अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। ताशी शेरपा मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत का निवासी है। शेरपा की जमानत को मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने खारिज कर दिया था। उसके उपरांत उसने जुलाई 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जमानत याचिका भी दायर की थी। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया गया।

एसटीएसएफ ने वैज्ञानिक विवेचना करते हुए ताशी शेरपा के ब्रेन मैपिंग (बीईओएस) और नार्को एनालिसिस परीक्षण करवाये, जिससे उसके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके अतिरिक्त, साइबर डेटा भी एकत्र कर माननीय न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया। जांच के दौरान, एसटीएसएफ ने इंटरपोल, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता भी मांगी।

अतत: दिनांक 09.05.2025 को माननीय ट्रायल कोर्ट नर्मदापुरम ने सुनवाई पूरी की और **ताशी शेरपा को *पांच साल के कठोर कारावास और 10000.0 रुपये का जुर्माना** लगाया।*

यह मामला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह देश का पहला मामला है जिसमें शिकारियों, कूरियर, बिचौलिये और तस्करों सहित 28 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, साथ ही यह पहला मामला है जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्कर पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया गया। उक्त कार्य में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम की महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

जय हिन्द

प्रभारी अधिकरी
स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in
प्रेस विज्ञप्ती (28/25, दिनांक 09.05.2025)

Conviction of an International Tiger Trafficker: Historic Operation, Investigation, and Prosecution by the State Tiger Strike Force, Madhya Pradesh

After a nine-year investigation, international tiger trafficker Tashi Sherpa was finally arrested on 25.01.2024 in Pani Tanki, Siliguri (West Bengal), near the international border, and finally convicted on 09.05.2025.

Sherpa is wanted in connection with a case of tiger poaching and the illegal trafficking of tiger bones to China, which was registered at the Satpura Tiger Reserve, Sohagpur (MP) in July 2015. The case was later transferred to the State Tiger Strike Force (STSF), which is formerly known as the Special Task Force for Wildlife. The STSF uncovered an organized syndicate, resulting in a total of 30 arrests, including the kingpin Jaiy Tamang. Following a thorough trial, the Honorable Court of CJM Narmadapuram (Hoshangabad) convicted 27 of the accused (with two deceased and one absconded) and sentenced them to five years in prison in December 2022.

On March 03, 2025, during the hearing of the appeal case, the District and Session Court of Narmadaluram upheld the conviction of the 27 individuals.

Tashi Sherpa is considered a crucial link in the international tiger trafficking syndicate, with operations spanning India, Nepal, Bhutan, and China. Originally from Tibet, an autonomous region of China, Sherpa's bail was rejected by the Honorable High Court of Madhya Pradesh. He even filed a bail petition with the Honorable Supreme Court in July 2024. However, given the seriousness of the case, his petition was denied, and the trial court was instructed to complete the trial within one year.

To conduct a thorough investigation, the STSF performed Brain Mapping (BEOS) and Narco Analysis tests on Tashi Sherpa, which provided vital evidence against him. Additionally, cyber data was collected and presented in court. During the investigation, the STSF sought assistance from Interpol, the Wildlife Crime Control Bureau (WCCB), and other law enforcement agencies.

Ultimately, the Honorable Trial Court in Narmadapuram completed the trial and sentenced **Tashi Sherpa to *five years of rigorous imprisonment and imposed a fine of 10000.0Rs. ***

This case marks a significant milestone, as it is the first in the country where an entire syndicate of 28 individuals—including poachers, couriers, mediators, and traffickers—was arrested and convicted, as well as the first case in which an international tiger trafficker was successfully prosecuted.

This case is also notable for forest adjudication due to the Hon'ble High Court ruling and the creation of a training module on forest and wildlife laws for judges and public prosecutors.

Jai Hind

OIC, STSF
Madhya Pradesh

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ का करेन्ट लगाकर शिकार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जबलपुर द्वारा खारिज

प्रेसविज्ञप्ती,
(29 / 05,दिनांक 16.05.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये बालाघाट जिले से 03 आरोपियों 1. मुन्ना लाल धुर्वे 2. तेजराम व 3. अशोक मरकाम को बाघ के अवयवों (03 केनाइन) के साथ गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 15 दिनांक 10.07.2024 दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बाघ को करेन्ट लगाकर मारना बताया तथा बताये गये स्थल की स्थानीय अमले के साथ मौका शिनाख्ति में एक गडडे से खोदकर बाघ के शरीर की लगभग छोटी बडी सभी हड्डिया (98 नग) एवं नाखून को निकालकर विधिवत जप्त कर विभिन्न फॉरेन्सिक लैब भेजा गया।

दिनांक 17.04.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई द्वारा गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुये मंडला जिले के बिछिया बस स्टेण्ड से घेराबंदी कर प्रकरण में 7 माह से फरार आरोपी जगदीश उर्फ अंश मरकाम को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

उक्त आरोपी द्वारा 15.05.2025 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जबलपुर के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की थी जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं प्रकरण की गंभीरता के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जबलपुर द्वारा खारिज किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के मॉस के साथ गिरफ्तार आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ. अंबेडकरनगर जिला इंदौर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती

(30/25, दिनांक 16.04.2025)

वनमण्डल इंदौर के परिक्षेत्र महु एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीव कृष्णमृग (Black Buck), चिंकारा का शिकार कर उसके मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, इम्तियाज पिता शकील खान, सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) को 65 कि.ग्रा. (लगभग) काले हिरण का मॉस, 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच–02–ई.पी.–4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया।

उक्त प्रकरण में आरोपी सलमान द्वारा अपनी द्वितीय जमानत **याचिका क्रमांक 144/2025 अपर सत्र न्यायालय डॉ. अंबेडकरनगर जिला इंदौर** में लगाई गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा ''अपराध की प्रकृति और प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परिणाम स्वरूप अभियुक्त सलमान पिता हारून की ओर से द्वितीय जमानत आवेदन पत्र धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निरस्त किया जाता है।'' आरोपी सलमान व 02 अन्य सह आरोपी उप जेल महू में निरूद्य है।

प्राधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं बाघ के अवयवों की तस्करी में संलिप्त आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती
(31/25, दिनांक 04.06.2025)

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में बेचने व म्यांनमार के रास्ते चीन तक तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, अंतर्राष्ट्रीय आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना के दौरान बालाघाट से बाघ के अवयवों की खरीद–फरौख्त में शामिल आरोपी जामखानकाप निवासी थुम्पुई जिला आईजोल (मिजोरम) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त आरोपी के विरूद्ध वनमंडल राजुरा महाराष्ट्र में भी वन अपराध प्रकरण क्रमांक 8893/222322/2025 बाघ के शिकार का प्रकरण दर्ज है साथ ही उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा भी मनीलॉड्रिंग केस में भी विवेचना की जा रही है।

उक्त आरोपी जामखानकाप के द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय जबलपुर में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने अवलोकन में यह माना कि '' आवेदक/आरोपी भारत और म्यांमार के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है तथा वन्यजीव बाघ का अवैध शिकार कर उसके अवयवों के अंतर्राष्टीय स्तर पर अवैध खरीद–फरौख्त संगठित रूप से किया जा रहा है और इस कडी में आवेदक/आरोपी की भी सक्रीय भूमिका है।

बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है वन आहार श्रंखला में बाघ का स्थान सर्वोच्च है, यदि बाघ की संख्या कम हो जाये तो वन का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जावेगा। इस प्रकार आवेदक/आरोपी की उपरोक्त रूप से सक्रीय भूमिका होना परिलक्षित हो रहा है। आवेदक/आरोपी द्वारा किया गया कृत्य काफी गंभीर प्रकृति का है।

आवेदक/आरोपी का व्यापार भारत देश से बाहर म्यांमार में है, इसलिए इस आरोपी का देश छोडकर चले जाने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।'' अतः उक्त जमानत याचिका क्रमांक B.A. No-1875-2025 **को भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 483 के तहत खारिज की गई।** प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. व श्योपुर वनमंडल द्वारा वन्यजीव के अवयवों के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह का पर्दाफाश कर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में वन्यजीव अवयवों की जप्ती की गई।

प्रेस विज्ञप्ती

(32 / 25, दिनांक 05.06.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर दिनांक 04.06.25 को हुये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई भोपाल, इकाई शिवपुरी व वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से जिला श्योपुर में अलग–अलग स्थानों दल बनाकर कर घेराबंदी कर छापामार कार्यवाही कर मध्यप्रदेश–राजस्थान में वन्यजीव का शिकार कर उसके अवयवों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुये तीन आरोपियों 1. आरोपी दौजी भील पिता शंकर व 2. आरोपी सुनीता पत्नी दौजी (महिला) निवासी ग्राम खोहरा जिला दौसा राजस्थान तथा 3. आरोपी बेस्ता भील निवासी नयागांव दोदीखेड़ा, कराहल जिला श्योपुर म.प्र. को गिरफ्तार किया। उनके पास से वन्यजीव तेन्दुये के भारी मात्रा में अवयवों की जप्ती की गई साथ ही अपराध में प्रयुक्त 02 नग मोटरसाइकिल व 03 नग मोबाइल जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 18 दिनांक 04.06.25 व वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कुल 04 वन्यजीव तेन्दुये के शिकार किया जाना स्वीकार किया। एसटीएसएफ द्वारा उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त की गई। उक्त जप्त वन्यजीव अवयवों को फॉरेन्सिक लैंब में भेजकर शिकार किये गये वन्यजीवों की प्रजाति एवं संख्या की पुष्टि कराई जावेगी।

उक्त प्रकरणों में शामिल 02 आरोपियों को आज दिनांक 05.06.2025 को एसटीएसएफ हेतु अधिकृत माननीय न्यायालय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर 04 दिन की फॉरेस्ट रिमांड पर लिया गया है। प्रकरण में लिप्त गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के 05 शासकीय सेवको को विशेष पुलिस महानिदेशक म.प्र. एसटीएफ भोपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया।

प्रेस विज्ञप्ती

(33/25,दिनांक 06.06.2025)

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ने अपने क्रमांक/एफ 15–36/2007/10/2 दिनांक 12.12.2008 व दिनांक 17.06.2022 के द्वारा से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र भोपाल से पद का निर्धारण किया गया है तथा इसके अधीनस्थ 04 क्षेत्रीय इकाई इंदौर/शिवपुरी/भोपाल/जबलपुर रखे है। उपरोक्त इकाईयों को उक्त आदेश 12.12.2008 के पूर्व एंटीपोचिंग स्क्वाड के नाम से जाना जाता था। इनका कार्य क्षेत्र न केवल संरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण) बल्कि संरक्षित के बाहर (क्षेत्रीय वनमण्डल) शामिल है। इनके कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश शामिल है तथा यह इकाईया वन्यप्राणी मुख्यालय के नियंत्रण में कार्य करती है। जिस तरह पुलिस विभाग की एटीएस, एसटीएफ, सीआईडी आदि है। इन इकाई द्वारा किये गये वन्यप्राणी संरक्षण कार्य की सराहना न केवल प्रदेश, देश बल्कि देश के बाहर भी की गई है। इस हेतु इंटरपोल द्वारा 03 बार प्रशंसा भी की गई है। इन इकाई में पदस्थ अमले को वन्यप्राणी अन्वेषण के उच्च कोटि का कार्य करने के कारण प्रदेश स्तर, देश स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

इसी क्रम में विशेष पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश एसटीएफ भोपाल के द्वारा थाना एसटीएफ पुलिस भोपाल के अपराध क्रमांक 02/25 में कटनी, मण्डला, डिण्डोरी एवं उमरिया क्षेत्र से 940 कि.ग्रा. गांजा के साथ 92 विस्फोटक पदार्थ युक्त बम तथा 08 धारदार चाकू के साथ अंतराज्जीय गिरोह के 04 आरोपियों को गिरफ्तारी में सहयोग हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई के निम्न शासकीय सेवकों को पुरस्कृत किया गया–

क्र.	नाम	पद	पुरस्कार
1	श्री शुभम मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	प्रशस्ति–पत्र
2	श्री पवन मेहरा	वनरक्षक	4000/– रूप्ये
3	श्री कैलाश चारार	वनरक्षक	4000/– रूप्ये
4	श्री सौरभ उप्रेती,	वनरक्षक	4000/– रूप्ये
5	श्री राजेश मेहरा	वनरक्षक	4000/– रूप्ये

प्राधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिकार व तस्कर को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/– रूप्ये का अर्थदण्ड

प्रेसविज्ञप्ती,

(34/25,दिनांक 11.06.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली से प्राप्त अलर्ट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.08.2023 को अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात वन्यजीव तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ विदिशा–सागर हाइवे पर ग्यारसपुर से गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 237/10 दिनांक 18.08.2023 दर्ज किया था। देश के कई राज्यों में तथा पडोसी देश नेपाल में भी कल्ला बावरिया के विरूद्ध बाघ के शिकर एवं उसके अवयवों की तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं। कल्ला बावरिया की विगत कई वर्षो से कई राज्यों की पुलिस, वन विभाग एवं नेपाल सेन्ट्रल इन्वेटिगेशन ब्यरों (सीबीआई) तलाश कर रही थी।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से इंटरपोल को संपर्क कर कल्ला व उसके गिरोह के अन्य सदस्यों तथा अपराधों के संबंध में पडोसी देश नेपाल से जानकारी एकत्रित की जिसमें नेपाल में भी वर्ष 2012 में कल्ला के विरूद्ध बाघ के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी का प्रकरण दर्ज होना पाया गया। साथ ही पडोसी राज्य महाराष्ट्र में भी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार का एक प्रकरण वर्ष 2013 का पाया गया। एसटीएसएफ द्वारा उक्त आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर प्रकरण क्रमांक 59/2938/2013 अकोट वन विभाग जिला अकोला महाराष्ट्र को सौपा गया था। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई कर कल्ला को दोषी करार देते हुये **3 वर्ष की सजा व 10,000/– (दस हजार) रूपये के अर्थदंड** की सजा सुनाई।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह के 02 आरोपियों की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी द्वारा निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती

(35 / 25, दिनांक 20.06.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर दिनांक 04. 06.25 को हुये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई भोपाल, इकाई शिवपुरी व वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से जिला श्योपुर में अलग–अलग स्थानों दल बनाकर कर घेराबंदी कर छापामार कार्यवाही कर मध्यप्रदेश–राजस्थान में वन्यजीव का शिकार कर उसके अवयवों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुये तीन आरोपियों 1. आरोपी दौजी भील पिता शंकर व 2. आरोपी सुनीता पत्नी दौजी (महिला) निवासी ग्राम खोहरा जिला दौसा राजस्थान तथा 3. आरोपी बेस्ता भील निवासी नयागांव दोदीखेड़ा, कराहल जिला श्योपुर म.प्र. को गिरफ्तार किया। उनके पास से वन्यजीव तेन्दुये के भारी मात्रा में अवयवों की जप्ती की गई साथ ही अपराध में प्रयुक्त 02 नग मोटरसाइकिल व 03 नग मोबाइल जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 18 दिनांक 04.06.25 व वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया। एसटीएसएफ द्वारा उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त की गई। उक्त जप्त वन्यजीव अवयवों को फॉरेन्सिक लैब में शिकार किये गये वन्यजीवों की प्रजाति एवं संख्या की पुष्टि हेतु भेजा गया।

उक्त प्रकरणों में शामिल आरोपी दौजी भील के निशानदेही पर गिरोह के अन्य दो सदस्य 1. बनीराम आदिवासी 2. नरेश उर्फ कल्लू आदिवासी को दिनांक 06.06.2025 को गिरफ्तार किया गया आरोपियों द्वारा दिनांक 18.06.25 को सत्र न्यायालय जिला शिवपुरी के समक्ष जमानत याचिका क्रमांक B.A.464/2025 प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी द्वारा की गई विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलिलो के आधार पर उक्त जमानत याचिका **भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 483 के तहत खारिज की गई।** प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के मॉस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका का माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(36 / 25, दिनांक 25.06.2025)

वनमण्डल इंदौर के परिक्षेत्र महु एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस (Bush Meat) की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, इम्तियाज पिता शकील खान, सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच–02–ई.पी. –4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675 / 09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। उक्त कार्यवाही में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर सहयोग प्रदान किया गया तथा जप्त मॉस के फॉरेन्सिक जॉच कराने के उपरांत उक्त अनुसूची–। का वन्यजीव कृष्णमृग व चिंकारा का होना पाया गया। तदोउपरांत प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया जाना पाया।

उक्त प्रकरण में आरोपी सलमान निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) द्वारा जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर (एमसीआरसी क्रमांक 23955 / 2025) में दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई इंदौर द्वारा की गई सटीक विवचेना एवं रखा गया ठोस पक्ष के आधार पर खारिज की गई। इसके पूर्व भी माननीय जिला सत्र न्यायालय डॉ. अंबेडकरनगर जिला इंदौर के द्वारा दो बार आरोपी सलमान की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। आरोपी सलमान व 02 अन्य सह आरोपी उप जेल महू में विगत 06 माह से निरूद्ध है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

प्राधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

बाघ एवं अन्य वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह का पर्दाफाश

प्रेस विज्ञप्ती

(37 / 25, दिनांक 27.06.2025)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर इसकी क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी एवं वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सवाई माधौपुर–श्योपुर–कराहल मार्ग पर घेराबंदी कर अलग–अलग स्थान से दिनांक 04.06.25 को 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 18 दिनांक 04.06.25 व वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया।

माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी में गिरफ्तार आरोपियों को पेश कर फॉरेस्ट रिमांड लेकर गहन पूछताछ की गई। प्रकरण में नवीन वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। एसटीएसएफ द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये इस गिरोह के 03 अन्य सदस्यों को शिवपुरी एवं श्योपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को विवरण–

1. आरोपी दौजी भील पिता शंकर भील दौसा राजस्थान
2. आरोपी सुनीता भील पत्नी दौजी (महिला) दौसा राजस्थान
3. आरोपी बेस्ता भील नयागांव दोदीखेड़ा, कराहल श्योपुर म.प्र
4 आरोपी बनीराम मोंगिया पिता सौजी मोंगिया नरवर शिवपुरी
5. आरोपी नरेश उर्फ कल्लू पिता हरज्ञान मोंगिया कोलारस शिवपुरी
6. आरोपी राजाराम मोंगिया निवासी जिला टोक, राजस्थान

उपरोक्त गिरोह के द्वारा अभी तक 03 बाघ का शिकार किया जाना स्वीकार किया है जिसकी पुष्टि फॉरेन्सिक रिपोर्ट से भी हुई है। उपरोक्त आरोपियों से 01 चार पहिया वाहन महिन्द्र बोलेरो, 03 मोटर साइकिल व 04 नग मोबाईल जप्त किये जा चुके है। गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी अपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसमें उन्हे सजा भी हो चुकी है। आरोपियों का अपराधिक नेटवर्क राजस्थान–मध्यप्रदेश सीमावर्ती जिलो मे फैला हुआ है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी, एवं रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधौपुर (राजस्थान) के द्वारा सहयोग किया गया। आरोपी दौजी, सुनीता, बनीराम व नरेश की जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय शिवपुरी के द्वारा निरस्त की जा चुकी है। समस्त आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल शिवुपरी में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं—2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

बाघ एवं अन्य वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह का पर्दाफाश

प्रेस विज्ञप्ती

(37 / 25, दिनांक 27.06.2025)

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष— एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (38/25, दिनांक 02.07.2025)

इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस द्वारा मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर के विरूद्ध की गई कार्यवाही हेतु भेजा बधाई संदेश

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु किये जा रहे समग्र प्रयासों के अंतर्गत्त स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा जो मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत का निवासी है, जिसे नौ साल की कडी मेहनत के बाद, अंततः 25.01.2024 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत-नेपाल, के पास सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में गिरफ्तार किया गया था। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) के द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं माननीय न्यायालय में रखे गये ठोस पक्ष के कारण आरोपी शेरपा को दिनांक 09.05.2025 को 05 वर्ष की सजा से दोषी ठहराया गया।

इंटरपोल मुख्यालय ल्योन, फ्रांस से जारी पत्र दिनांक 10.06.2025 से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा के सफलापूर्वक अभियोजन पूर्ण कर सजा दिलवाने की उत्कृष्ट कार्यवाही हेतु बधाई पत्र भेजा गया है।

इंटरपोल, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO-Interpol) कहा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो 195 से अधिक देशों ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया भर में पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन केन्द्र शासन के निर्देश पर वन्यजीवों की तस्करी की रोकथाम हेतु किया गया है। एसटीएसएफ ने विगत् कुछ वर्षो में उत्कृष्ट कार्य करते हुये कई अंतरराज्जीय व अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। जिस हेतु इंटरपोल द्वारा पूर्व में भी 03 बार एसटीएसएफ के कार्यो की सराहना की जा चुकी है।

ताशी शेरपा को अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। जुलाई 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शेरपा की जमानत याचिका को खारिज कर ट्रायल कोर्ट नर्मदापुरम को एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था।

एसटीएसएफ ने वैज्ञानिक विवेचना करते हुए ताशी शेरपा के ब्रेन मैपिंग (बीईओएस) और पॉलीग्राफी परीक्षण करवाये, जिससे उसके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके अतिरिक्त, साइबर डेटा भी एकत्र कर माननीय न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया।

यह प्रकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश का पहला मामला है जिसमें बाघ शिकारियों, कूरियर, बिचौलिये और तस्करों सहित 28 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया और सभी को दोषी ठहराया गया। उक्त प्रकरण एक और सरगना जेई तमांग उर्फ पसांग लिमी फरार है जिसके विरूद्ध इंटरपोल के द्वारा रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया गया है। इंटरपोल द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित विदेशी बाघ तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही में एसटीएसएफ को सहायता प्रदान करने का भी लेख किया है। इस प्रकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों/ वनाधिकारी को शासन स्तर से भी पुरस्कृत किया जावेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी में संलिप्त 04 माह से फरार आरोपी हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(39/25, दिनांक 07.07.2025)

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में विक्रय करने व म्यांनमार के रास्ते अन्य देशों में तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

प्रकरण में 04 आरोपियों को हरियाणा, मेघालय, व मिजोरम से गिरफ्तार किया जा चुका है तथा फरार आरोपी को पकडने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित कर प्राप्त सूचना के आधार पर दल गठित कर राज्य के बाहर हिमाचल प्रदेश भेजा गया। दल द्वारा कार्यवाही कर 4 माह से फरार आरोपी राजकुमार बावरिया को घेराबंदी कर बद्दी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 04.07.2025 को गिरफ्तार किया। आरोपी को माननीय एडिशनल मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी कसौली हिमाचल प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिप्ट रिमांड पर लेकर सुरक्षित मध्यप्रदेश लाकर उसे माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में आज दिनांक 07.07.2025 को प्रस्तुत कर 04 दिन की फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी जामखानकाप निवासी थुम्पुई जिला आईजोल (मिजोरम) की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर से खारिज की जा चुकी है। वर्तमान में जिसमें से 04 आरोपी जिला जेल चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं—2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ व पेंगोलिन के शिकार कराकर उनके अवयवों की तस्करी में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की महिला आरोपी निवासी कार्बी आंगलोंग राज्य असम की जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय नर्मदापुरम से निरस्त

प्रेसविज्ञप्ती,

(40 / 25,दिनांक 11.07.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली से प्राप्त अलर्ट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.08.2023 को अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात वन्यजीव तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 237 / 10 दिनांक 18.08.2023 पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना के दौरान पुजारी सिंह वल्द रामकुमार सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया था। उक्त दोनों आरोपियों के द्वारा अपने बयान में वन्यजीव अवयवों को रिंडिक टेरोंपी निवासी असम को बेचना बताया था।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. इकाई भोपाल द्वारा मुखबिर तंत्र विकसित कर कार्यवाही करते हुये आरोपी रिंडिक टेरोंपी निवासी असम को गोहाटी, असम दिनांक 06.03.205 को गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश लाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम भेजा गया। आरोपी रिंडिक के विरूद्ध पूर्व में बाघ के अवयवों की तस्करी संबंधी प्रकरण गोहाटी, असम में भी दर्ज है।

आरोपी रिंडिक टेरोंपी के द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष दायर प्रथम जमानत याचिका क्रमांक बी.ए. 146 / 2025 लगाई। जिसे माननीय अपर सत्र न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा उक्त आरोपी की गिरोह में सक्रियता, अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये **दिनांक 10.07.2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 483 के तहत** निरस्त की गई। उक्त प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा भी निरस्त की जा चुका है तथा सभी आरोपी केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष— एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की गई बडी कार्यवाही; अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की भारी मात्रा में की गई जप्ती

प्रेस विज्ञप्ती (**41/25, दिनांक 13.07.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये, सबलगढ-मुरैना मार्ग पर घेराबंदी कर जौरा शहर थाने के पास से दिनांक 12.07.25 शाम को हुन्डाई कार को रोककर पूछताछ कर विधिवत तलाशी ली गई जिसमें सवार 03 व्यक्ति जिन्होंने अपना नाम 1 विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर 2 राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश 3 रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर बताया तथा वाहन में अत्यंत दुर्लभ **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 14 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga)** अवैध रूप से रखना पाया गया।

विधिअनुसार कार्यवाही करके पूछताछ करने पर गिरोह की निशानदेही पर दल द्वारा दिनांक 13.07.25 को सुबह-सुबह **03 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga) 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka)** कछुये ग्वालियर स्थित आरोपी विजय गोंड के मकान से जप्त किये गये। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया।

आज दिनांक 13.07.2025 को तीनों आरोपियों को एसटीएसएफ हेतु अधिकृत माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जावेगी। गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि यह जलीय जीव कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश भेजे जा रहे थे।

उक्त जलीय जीव भारत की चंबल नदी में मुख्यतः पाये जाते है। जो अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के है। जिसे भारत सरकार के साथ-साथ मध्यप्रदेश सरकार,उत्तप्रदेश सरकार व राजस्थान सरकार के द्वारा बचाने के प्रयास किये जा रहे है। इन संकटप्रद प्रजातियों का जलीय परिस्थातिकीय में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के अन्य देशों में मुख्यतः पश्चिमी यूरोप देशों में इनकी भारी डिमांड होने के कारण इसलिए इनकी तस्करी की जाती है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार में शामिल फरार आरोपी निवासी भिलाई, छत्तीसगढ की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(42/25, दिनांक 14.07.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इन्दौर के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को अनुसूची– IV में सूचीबद्ध दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (*Iguana iguana*) एवं एंपरर स्कॉर्पियन (*Pandanus imperator*) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49 एम एवं 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियां संबंधी नियम 2024 के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण क्रमांक 237/14 दिनांक 25.05.24 दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक गोयल निवासी दिल्ली को दिनांक 08.06.24 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई।

प्रकरण में फरार आरोपी अभिनव पाण्डे पिता जितेन्द्र कुमार पाण्डे निवासी भिलाई (छ.ग.) के द्वारा माननीय अति. अपर सत्र न्यायालय इंदौर विशेष न्यायालय क्रं.–7 में जमानत याचिका 2597/2025 लगाई गई थी। दिनांक 12.07.2025 को अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा एसटीएसएफ द्वारा तैयार केस डायरी में बताया गया कि उक्त आरोपी द्वारा परिवेश पोर्टल पर 350 से अधिक एक्जोटिक प्राणी प्रजातियों के आवेदन किये गये है व इस संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध प्रमाण–पत्र नही है साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा विस्तृत सुनवाई उपरांत निरस्त की गई। उक्त प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिकाये माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार निरस्त की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को एक और सफलता; दुर्लभ प्रजाति के कछुओ की तस्करी करने वाले अंतर्राज्जीय गिरोह के सभी 04 आरोपियों को माननीय विशेष STSF न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा सजा सुनाई

प्रेस विज्ञप्ती

(43 / 25, दिनांक 14.07.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. क्षेत्रीय इकाई भोपाल एवं डीआरआई के संयुक्त दल द्वारा इटारसी रेल्वे स्टेशन से दिनांक 30.09.2023 को लखनाऊ–यशवंतपुरम ट्रेन संख्या–12540 में सर्च कार्यवाही के दौरान पश्चिम बंगाल निवासी व्यक्तियों स्वप्न पाल पिता भागीरथ पाल निवासी जिला पश्चिम वर्धमान (पश्चिम बंगाल) व नरोत्तम सरकार निवासी नदिया (पश्चिम बंगाल) को 282 (280 जीवित व 02 मृत) नग दुर्लभ प्रजाति के कछुये (इंडियन टेन्ट टर्टल) जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 11 दिनांक 30.09.2023 दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान अयोध्या उत्तरप्रदेश निवासी सुग्रीव गोंड जिला बस्ती उत्तरप्रदेश व आरोपी अभिषेक उर्फ राजा विश्वास जिला अयोध्या (उत्तरप्रदेश) की संलिप्तः पाई गई थी। जिन्हें अलग–अलग दल बना कर राज्य के बाहर जाकर गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश लाकर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया था। चारो आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय नर्मदापुरम में सटिक विवेचना के दौरान परिवाद प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा भी उक्त आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी हैं प्रकरण में गिरफ्तारी दिनांक से ही आरोपी केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम में निरूद्ध थे।

माननीय मुख्य न्यायिक विशेष न्यायालय नर्मदापुरम के द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर दिनांक 12.07.2025 को सभी चारों आरोपियों को **3–3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 25–25 हजार रूप्ये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।**

उक्त दुर्लभ जलीव जीव (इंडियन टेन्ट टर्टल) गंगा व साफ जल वाली नदियों में पाये जाते है। जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। भारत सरकार के साथ–साथ मध्यप्रदेश शासन जलीव जीवों को बचाने हेतु प्रयासरत है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन की तस्करी व शिकार करने वाले संगठित गिरोह के सभी 15 आरोपियों को माननीय न्यायालय ढीमरखेड़ा कटनी द्वारा सजा सुनाई

प्रेस विज्ञप्ती

(44/25, दिनांक 25.07.2025)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के द्वारा प्राप्त निर्देश पर माह फरवरी वर्ष 2016 में वनमंडल कटनी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. के संयुक्त दल द्वारा दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के अवैध शिकार एवं उसके अंगो के अवैध व्यापार करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुये वन्यजीव पेंगोलिन के खपटों (स्केल्स) को जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3048/01 दिनांक 21.02.2016 वनमंडल कटनी के द्वारा दर्ज किया गया। प्रकरण के अन्वेषण में एसटीएसएफ द्वारा सहायता प्रदान करते हुये 15 आरोपियों को कटनी वनमंडल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के निर्देश पर वन्यजीव मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 27.08.2024 द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण की त्वरित सुनवाई हेतु वन्यजीव विधि विशेषज्ञ एवं अधिवक्ता सुश्री मंजुला श्रीवास्तव, कटनी से पैरवी कराये जाने हेतु वनमंडलाधिकारी वनमंडल कटनी को निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय ढीमरखेड़ा जिला कटनी के द्वारा आरोपियों को सजा सुनाते हुये अपने आदेश में यह भी लिखा कि

'' पशु एवं वन्यप्राणी संपदा के संबंध में भारत एक अत्यधिक धनी देश है जहॉ कुछ दुर्लभ प्रजातियां पहले से ही पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है और कुछ प्रजातियां अन्य खतरे के निशाने पर पहुच चुकी है। यदि शीध्र ही सुरक्षात्मक उपाय नही निकाले गए, तो बची हुई दुर्लभ प्रजातियां भी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जायेगी। वर्तमान समय में न्यायालय के समक्ष वन्यप्राणियों के संरक्षण उनके विरूद्ध घटित अपराध शीध्र विचारण एवं ऐसे अपराधियों के प्रति दंडात्मक कार्यवाही किया जाना सर्वाधिक बड़ी चुनौती है। जिस संबंध में न्यायालय को पुष्टि के नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए, वन्यप्राणियों के संरक्षण विधि के उददेश्य को विफल होने की संभावना से बचाना चाहिए। आज के युग में एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते सभी का यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति से छेडछाड़ न करते हुये, वन एवं वन्यप्राणी संपदा को संरक्षित करने का संकल्प ले और उनके प्रति हुए अपराधों के विरूद्ध आवाज उठाएं। यदि ऐसा नही किया गया तो शीघ्र ही दुर्लभ वन्य प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी।''

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2025 को सभी 15 आरोपियों को **3–3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल तीन लाख अस्सी हजार रूप्ये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।** वनमंडल कटनी के तत्कालीन अमले के द्वारा की गई सटिक विवेचना व परिवाद प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपियों को सजा दिलाने में सुश्री मंजुला श्रीवास्तव, विधि विशेषज्ञ एवं अधिवक्ता जिला कटनी म.प्र. का विशेष योगदान रहा।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के शिकार एवं बाघ के अवयवों की तस्करी में संलिप्त मेघालय निवासी आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती
(45 / 25, दिनांक 27.07.2025)

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम / मिजोरम में बेचने व म्यांनमार के रास्ते चीन तक तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक 04 विभिन्न राज्यों के 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1. सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर, हरियाणा
2. लालनेसंग हमार पिता लाल्टलंगथांग निवासी हैप्पी वैली ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय
3. निंग सान लून पति कापलियानमंग निवासी ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग मेघालय
4. जामखानकाप पिता थांगजाचिना निवासी जिला ऐजावल, मिजोरम
5. राजकुमार बावरिया पिता भाना बावरिया निवासी बद्दी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण की विवेचना के दौरान बालाघाट से बाघ के अवयवों की खरीद–फरौख्त में शामिल आरोपी लालनेसंग हमार पिता लाल्टलंगथांग निवासी हैप्पी वैली ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त आरोपी अपनी गिरफ्तारी दिनांक से ही जेल में निरूद्ध हैं।

उक्त आरोपी लालनेसंग के द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय जबलपुर में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति व प्रकरण की गंभीरता व अंतराष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के अंगो की तस्करी को ध्यान में रखते हुये आरोपी जमानत याचिका क्रमांक B.A. No-2569-2025 **को भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 483 के तहत निरस्त की गई।** प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

बाघ एवं अन्य वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह 7वॉ आरोपी गिरफ्तार व एक अन्य फरार आरोपी जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती

(46/25, दिनांक 28.07.2025)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर इसकी क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी एवं वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सवाई माधौपुर–श्योपुर–कराहल मार्ग पर घेराबंदी कर अलग–अलग स्थान से दिनांक 04.06.25 को 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/18 दिनांक 04.06.25 व वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया। प्रकरण में नवीन वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। एसटीएसएफ द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये इस गिरोह के 03 अन्य सदस्यों को शिवपुरी एवं श्योपुर जिले से गिरफ्तार किया गया।

उक्त प्रकरण क्रमांक 237/19 दिनांक 04.06.25 में फरार आरोपी राजा भील पिता ज्ञान सिंह भील के द्वारा माननीय सत्र न्यायालय शिवपुरी में प्रथम जमानत याचिका क्रमांक बी.ए. 585/2025 लगाई जिसे माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2025 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी के द्वारा सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर कहा कि ''अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ देने की इच्छुक नही है। अतः बीएनएसएसकी धारा 482 के तहत जमानत याचिका निरस्त की। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी दौजी, सुनीता, बनीराम व नरेश की जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय शिवपुरी के द्वारा निरस्त की जा चुकी है। समस्त आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल शिवुपरी में निरूद्ध है।

प्रकरण क्रमांक 237/18 दिनांक 04.06.25 में अग्रिम कार्यवाही करते हुये दिनांक 27.07. 2025 को पटेल चौक पडोरा शिवपुरी से प्रकरण में शामिल मुख्य आरोपी सौजीराम मोंगिया पिता जमुना मोंगिया निवासी भीमपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी के समक्ष पेश किया जाकर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। आरोपी की गिरफ्तारी में शिवपुरी वनमंडल के वन परिक्षेत्र कोलारस के परिक्षेत्र अधिकारी एवं अन्य क्षेत्रिय अमले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिकारी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया की जमानत याचिका दूसरी बार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निरस्त करते हुये माननीय विचारण न्यायालय नर्मदापुरम को 6 माह में सुनवाई पूर्ण करने के निर्देश

प्रेसविज्ञप्ती,

(47/25, दिनांक 31.07.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली से प्राप्त अलर्ट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.08.2023 को अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात वन्यजीव शिकारी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ विदिशा–सागर हाइवे पर ग्यारसपुर से गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 237/10 दिनांक 18.08.2023 दर्ज किया था।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से इंटरपोल को संपर्क कर कल्ला व उसके गिरोह के अन्य सदस्यों तथा अपराधों के संबंध में पडोसी देश नेपाल से जानकारी एकत्रित की जिसमें नेपाल में भी वर्ष 2012 में कल्ला के विरूद्ध बाघ के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी का प्रकरण दर्ज होना पाया गया। साथ ही पडोसी राज्य महाराष्ट्र में भी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार का एक प्रकरण वर्ष 2013 का पाया गया। एसटीएसएफ द्वारा उक्त आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर प्रकरण क्रमांक 59/2938/2013 अकोट वन विभाग जिला अकोला महाराष्ट्र को सौपा गया था। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई कर कल्ला को दोषी करार देते हुये 3 वर्ष व 10,000/–(दस हजार) रूपये के अर्थदंड की सजा भी दी जा चुकी है।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के समक्ष आरोपी कल्ला बावरिया के द्वारा दूसरी जमानत याचिका क्रमांक एमसीआरसी 16232/2025 दायर की गई। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी की गिरोह में सक्रियता, अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 30.07.2025 को निरस्त की, साथ ही विचारण न्यायालय को 6 माह में सुनवाई पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा भी निरस्त की जा चुकी है तथा सभी आरोपी केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**48/25, दिनांक 05.08.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद

प्रकरण में शामिल आरोपी छोटेलाल बाथम द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में प्रथम जमानत याचिका BA 614/2025 दायर की जिसे माननीय जिला सत्र न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता के आधार पर निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में सभी आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्य है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को जलाकर नष्ट करने वाले 02 फरार आरोपी शासकीय सेवकों की अग्रिम जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी, बालाघाट से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**49/25,** दिनांक **07.08.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को जंगल में ही 06 लोगो के द्वारा वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक के निर्देश पर जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत् अपराधिक कृत्य है तथा उक्त अपराधिक कृत्य में लिप्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. शिवकुमार धर्वे पिता सुरपात धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
2. देव सिंह कुम्भरे पिता गनपत सिंह कुम्भरे निवासी बोरीटोला,लालबर्रा जिला बालाघाट
3. शैलेष धुर्वे पिता ज्ञानसिंह धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
4. हरिलाल एड़पाचे पिता सितकुर एड़पाचे निवासी चितालटोला, लालबर्रा जिला बालाघाट
5. अनुज सिरसाम पिता मिठ्ठनसिंह सिरसाम निवासी टेकाडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
6. मानसिंह सलामे पिता दीपसिंह सलामे निवासी खैरगोंडी, लालबर्रा जिला बालाघाट

प्रकरण में शामिल फरार आरोपी शासकीय सेवक टीकाराम हनोते, वनपाल व फरार आरोपी हिमांशु घोरमारे, वनरक्षक द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट में प्रथम अग्रिम जमानत याचिका BA 214/2025 व BA 215/2025 क्रमशः दायर की जिसे माननीय जिला सत्र न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व अपराध की गंभीरता प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी शासकीय सेवकों की प्रथम जमानत आवेदन पत्र बीएनएसएस की धारा 482 के तहत निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों को 6 दिन की फॉरेस्ट रिमांड पर लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**50/25, दिनांक 12.08.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद

प्रकरण में शामिल आरोपी रामवीर सिंह द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में प्रथम जमानत याचिका BA 637/2025 दायर की जिसे माननीय जिला सत्र न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता के आधार पर निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में सभी आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को जलाकर नष्ट करने वाले 06 आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी, बालाघाट से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**51/25, दिनांक 14.08.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को जंगल में ही 06 लोगो के द्वारा वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक के निर्देश पर जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत् अपराधिक कृत्य है तथा उक्त अपराधिक कृत्य में लिप्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. शिवकुमार धर्वे पिता सुरपात धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
2. देव सिंह कुम्भरे पिता गनपत सिंह कुम्भरे निवासी बोरीटोला,लालबर्रा जिला बालाघाट
3. शैलेष धुर्वे पिता ज्ञानसिंह धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
4. हरिलाल एड़पाचे पिता सितकुर एड़पाचे निवासी चितालटोला, लालबर्रा जिला बालाघाट
5. अनुज सिरसाम पिता मिठ्ठनसिंह सिरसाम निवासी टेकाडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
6. मानसिंह सलामे पिता दीपसिंह सलामे निवासी खैरगोंडी, लालबर्रा जिला बालाघाट

प्रकरण में शामिल सभी 06 आरोपियों द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट में प्रथम अग्रिम जमानत याचिका BA 224/2025 क्रमशः दायर की जिसे माननीय जिला सत्र न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व अपराध की गंभीरता प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये सभी 06 आरोपियों की प्रथम जमानत आवेदन पत्र बीएनएसएस की धारा 483 के तहत निरस्त की गई। प्रकरण में 02 आरोपी फरार है जिसने संबंध में जानकारी जुटाई जा रही हैं प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार में शामिल फरार आरोपी निवासी हैदराबाद, तेलंगाना की अग्रिम जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(52 / 25, दिनांक 14.08.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इन्दौर के द्वारा दिनांक 25.05.2024 को अनुसूची– IV में सूचीबद्ध दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (*Iguana iguana*) एवं एंपरर स्कॉर्पियन (*Pandanus imperator*) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49 एम एवं 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियां संबंधी नियम 2024 के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण क्रमांक 237 / 14 दिनांक 25. 05.24 दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक गोयल निवासी दिल्ली को दिनांक 08.06.24 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपी आरोपी सैय्यद खाजा गौस मोहिउद्दीन पिता सय्यद खाजा रऊफुद्दीन निवासी कालेंदर नगर रोड सईदाबाद हैदराबाद, तेलंगाना से 04 नग जीवित इगुआना व 04 नग वान पायथन (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) जप्त कर मध्यप्रदेश लाया गया था।

प्रकरण में फरार आरोपी सैय्यद खाजा गौस मोहिउद्दीन के द्वारा माननीय अति. अपर सत्र न्यायालय इंदौर विशेष न्यायालय क्रं.–7 में जमानत याचिका 3097/2025 लगाई गई थी। आज दिनांक 14.08.25 को माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा कि आरोपी / आवेदक से विदेशी वन्यजीव जप्त हुये है तथा केस डायरी के अनुसार आरोपी के द्वारा प्रकरण में सहयोग नही किया जा रहा है अतः अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा मामले अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आरोपी की प्रथम अग्रिम जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत निरस्त की गई। उक्त प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिकाये माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार निरस्त की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा समुद्री जलीय जीव, अन्य वन्यजीव सहित वन्यजीव अवयवों की इंदौर से जप्ती आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**53/25,** दिनांक **21.08.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई इंदौर एवं वन्यजीव कार्यालय इंदौर के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 19-08-2025 को आरोपी कपिल पिता मोहनलाल शर्मा के खातीवाला टेंक स्थित मकान व उसके आफिस से अत्यधिक मात्रा में वन्यजीव व वन्यजीव अवयवों को जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/21 दिनांक 19.08.25 दर्ज किया गया। जिनमें Star Tortoies *(Geochelone elegans)* 04 नग, तोता 01 नग*(Psittacula eupatria)* ब्लेक कोरल 01 नग *(antipatharians)*, सियारसिंगी *(Canis aureus)* 01 नग, कोरल*(Diploria labyrinthiformis)* 02 नग, एवं अन्य वन्यजीव अवयव भारी मात्रा में जप्त किये गये। जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची प्रथम एवं अनुसूची द्वितिय के अंतर्गत आते है।

उक्त आरोपी को एसटीएसएफ हेतु अधिकृत माननीय विशेष न्यायालय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल भेजा गया। आरोपी का उपरोक्त कृत्य गंभीर वन्यप्राणी अपराध की श्रेणी में आता है। जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 9, 39, 51, 52 का उल्लंघन किया गया है। आरोपी का उपरोक्त कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है एवं धारा 51 के अर्न्तगत् न्यूनतम 3 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष तथा न्यूनतम जुर्माना राशि रूपये 25 हजार से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन अपराध में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**54/25,** दिनांक **22.08.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई इंदौर एवं वन्यजीव कार्यालय इंदौर के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 19-08-2025 को आरोपी कपिल पिता मोहनलाल शर्मा के खातीवाला टेंक स्थित मकान व उसके आफिस से Star Tortoies *(Geochelone elegans)* 04 नग, तोता 01 नग*(Psittacula eupatria)* ब्लेक कोरल 01 नग *(antipatharians)*, सियारसिंगी *(Canis aureus)* 01 नग, कोरल*(Diploria labyrinthiformis)* 02 नग, एवं अन्य वन्यजीव अवयव जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची प्रथम एवं अनुसूची द्वितीय के है, जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/21 दिनांक 19.08.25 दर्ज किया गया। ।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी कपिल शर्मा द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में प्रथम जमानत याचिका BA 3228/2025 क्रमशः दायर की, जिसे माननीय जिला सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व अपराध की गंभीरता, प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी की प्रथम जमानत आवेदन पत्र बीएनएसएस की धारा 483 के तहत निरस्त की गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के अवयवों के अवैध व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के संलिप्त मिजोरम निवासी आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती
(55 / 25, दिनांक 23.08.2025)

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम / मिजोरम में बेचने व म्यानमार के रास्ते चीन तक तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, अंतर्राष्ट्रीय आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना के दौरान बालाघाट से बाघ के अवयवों की खरीद–फरौख्त में शामिल आरोपी जामखानकाप निवासी थुम्पुई जिला आईजोल (मिजोरम) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त आरोपी के विरूद्ध वनमंडल राजुरा महाराष्ट्र में भी वन अपराध प्रकरण क्रमांक 8893 / 222322 / 2025 बाघ के शिकार का प्रकरण दर्ज है साथ ही उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा भी मनीलॉड्रिंग केस में भी विवेचना की जा रही है।

उक्त आरोपी जामखानकाप के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर में द्वितीय जमानत याचिका एमसीआरसी नम्बर 33379–2025 प्रस्तुत किया गया, जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा खारिज किया गया। इसके पूर्व भी उक्त आरोपी की जमानत याचिकाये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा कई बार खारिज की जा चुकी है। उक्त आरोपी गिरफ्तारी दिनांक से (6 माह) ही चन्द्रपुर महाराष्ट्र जेल में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल उत्तप्रदेश निवासी आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**56/25, दिनांक 25.08.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश

प्रकरण में शामिल आरोपी राजू आदिवासी द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में प्रथम जमानत याचिका BA 678/2025 दायर की जिसे माननीय जिला सत्र न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता के आधार पर निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में सभी आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स , मध्य प्रदेश को हस्तांतरित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.2025 में फरार आरोपियों पर ईनाम घोषणा

प्रेस विज्ञप्ति (57/25, दिनांक 26.08.2025)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्य प्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई जबलपुर को हस्तांतरित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.2025 में फरार आरोपियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रत्येक आरोपी अनुसार 5000/- **(पांच हजार रुपये)** की राशि दी जावेगी एवं सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जावेगा |

सूचना देने हेतु संपर्क करे : STSF जबलपुर : 7067898223, 93991 85452

आरोपियों का विवरण :

क्र	फरार आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवासी	फोटोग्राफ	इनाम राशि (रुपये)
1.	टीकाराम हनोते , 55 वर्ष	मुंशी हनोते	वार्ड न 02, पंप हाउस गली , भटेरा चौकी , जिला – बालाघाट , म .प्र .		5000/- (पांच हजार)
2.	हिमांशु घोरमारे , उम्र – 36 वर्ष	डुलचंद घोरमारे	वार्ड न 33, अवधपुरी कॉलोनी , जिला – बालाघाट , म .प्र .		5000/- (पांच हजार)

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव अपराध में 2 वर्ष 03 माह से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(58/25, दिनांक 26.08.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की इकाई इंदौर द्वारा मई 2023 में अनुसूची–II के वन्यजीव Plum-heded Parkeet 35 नग एवं Rose-ringed Parkeet 16 नग की तस्करी व अवैध व्यापार करने वाले संगठित गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही कर 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण 237/06 दिनांक 20.05.2023 दर्ज किया गया था। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार हैं–

1. सुरेश उर्फ बबलू पिता रामस्वरूप मोगिया,निवासी– गुलाबगंज, जिला विदिशा–(म.प्र.)
2. दिनेश पिता धनीराम, निवासी– गुलाबगंज, जिला विदिशा–(म.प्र.)
3. सत्यनारायण पिता दयाराम मोगिया, निवासी– गुलाबगंज, जिला विदिशा–(म.प्र.)
4. फिरोज खान पिता नूर मोहम्मद, निवासी– तीन ईमली चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
5. वसीम कुरैशी पिता गुलाम मोहम्मद, निवासी– आजाद नगर, इन्दौर –(म.प्र.)
6. यासीन अली पिता इफ्तेखार अली निवासी, मुर्गी बाजार, जहांगीराबाद भोपाल–(म.प्र.)
7. राशिद उर्फ सरवर खान पिता अब्दुल हमीद, निवासी – जहांगीराबाद– भोपाल–(म.प्र.)

प्रकरण में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित कर लगातार प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक 25.08.2025 को प्रकरण में फरार 7वे आरोपी राशिद उर्फ सरवर खान पिता अब्दुल हमीद निवासी जहॉगीराबाद भोपाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जिसमें उसने बताया कि उक्त वन्यजीवों को मध्यप्रदेश से गुजरात ले जा रहे थे। एसटीएसएफ द्वारा त आरोपी को विशेष न्यायालय इंदौर में पेश किया गया। माननीय विशेष न्यायालय इंदौर द्वारा आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुये आरोपी को जेल भेजा गया।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

बाघ एवं अन्य वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह का मुख्य शिकारी आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(59 / 25, दिनांक 29.08.2025)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर इसकी क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी एवं वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सवाई माधौपुर–श्योपुर–कराहल मार्ग पर घेराबंदी कर अलग–अलग स्थान से दिनांक 04.06.25 को 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 18 दिनांक 04.06.25 एवं 237 / 19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया था।

माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी में गिरफ्तार आरोपियों को पेश कर फॉरेस्ट रिमांड लेकर गहन पूछताछ की गई। प्रकरण में नवीन वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। एसटीएसएफ द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण क्रमांक 237 / 18 दिनांक 04.06.25 में इस गिरोह के 03 अन्य सदस्यों को शिवपुरी एवं श्योपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक कुल गिरफ्तार आरोपियों को विवरण इस प्रकार है।

1. आरोपी दौजी भील पिता शंकर भील दौसा राजस्थान
2. आरोपी सुनीता भील पत्नी दौजी (महिला) दौसा राजस्थान
3. आरोपी बनीराम मोंगिया पिता सौजी मोंगिया नरवर शिवपुरी
4. आरोपी नरेश उर्फ कल्लू पिता हरज्ञान मोंगिया कोलारस शिवपुरी
5 आरोपी राजाराम मोंगिया निवासी जिला टोक, राजस्थान
6. आरोपी सौजीराम मोंगिया पिता जमुना मोंगिया निवासी नरवर जिला शिवपुरी
7. आरोपी बृजमोहन मोंगिया पिता नन्दकिशोर निवासी पोहरी जिला शिवपुरी

प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.08.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार ग्राम खरई खैरोना बस स्टेण्ड शिवपुरी से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी व वनमंडल शिवपुरी के संयुक्त दल द्वारा प्रकरण में शामिल मुख्य शिकारी 7 वा आरोपी बृजमोहन मोंगिया पिता नन्दकिशोर निवासी पोहरी जिला शिवपुरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी के समक्ष पेश किया जाकर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को अवैध तरीके से जलाकर अपराधिक कृत्य करने वाले 02 आरोपी/शासकीय सेवको की अग्रिम जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**60/25,** दिनांक **10.09.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को जंगल में ही 06 सुरक्षा श्रमिको द्वारा वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक के निर्देश पर जला दिया गया। जो कि प्रथम द्दष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) के धारा 2(16)(c), 39 (1), 39(3) ,39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2003", 48A एवं 52के अंतर्गत अपराधिक कृत्य है तथा उक्त अपराधिक कृत्य में लिप्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

उक्त प्रकरण में विगत एक माह से फरार आरोपी हिमांशु घोरमारे, तत्कालीन वनरक्षक एवं टिकाराम हनोते, तत्कालीन वनपाल द्वारा प्रकरण की जाँच से बचने हेतु माननीय सेशन न्यायालय वारासिवनी में दिनांक 07.08.2025 को अग्रिम जमानत निरस्त होने के परिणामस्वरूप दिनांक 13.08.2025 एवं 18.08.2025 को माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी | उक्त जमानत याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2025 को दोनों पक्षों को सुना गया एवं अभियोजन पक्ष स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स, मध्य प्रदेश व शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यो एवं दलीलों के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की विवेचना में प्राप्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों फरार आरोपियों के आचरण तथा **अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोनों फरार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दोनों फरार अभियुक्तों की प्रकरण की जाँच हेतु कस्टोडियल इन्टेरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) के निर्देश देते हुए दोनों अग्रिम जमानत याचिकाए ख़ारिज कर दी गई |**

उक्त प्रकरण में पूर्व में उक्त दोनों फरार आरोपियों हिमांशु घोरमारे एवं टिकाराम हनोते के सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्तियों को राशी 5000 (पांच हजार रूपए) के इनाम की घोषणा की गयी है | **सूचना देने हेतु मोबाइल नम्बर 7067898223, 93991 85452से संपर्क करसकते है।** वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है |

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in
प्रेस विज्ञप्ती (61 / 25, दिनांक 25.09.2025)

*** अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ढरके लामा के विरूद्ध इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी***

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु किये जा रहे समग्र प्रयासों के अंतर्गत्त स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा देश विदेश की कानून प्रवर्तन संस्था इंटरपोल से समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर विदेशी नागरिक टरके लामा उर्फ ढरके लामा पिता शीरिंग कुंगा लामा निवासी हुमला नेपाल की गिरफ्तारी हेतु इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सहयोग एवं तत्वाधान में इंटरपोल से पत्राचार कार्यवाही कर रेड नोटिस जारी करवाया गया है।

उक्त आरोपी विगत 10 वर्षों से फरार है, जिसके विरूद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम में बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की चीन में अवैध तस्करी संबंधी प्रकरण 14198/03 दिनांक 13.07.2015 दर्ज किया गया था प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना हेतु हस्तांतरित किया गया था। एसटीएसएफ ने आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में कार्यवाही करते हुये संगठित गिरोह के कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण की विस्तृत सुनवाई के बाद दिसंबर 2022 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ने 29 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 7.10 लाख अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई गयी।

प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा को नौ वर्ष उपरांत, विगत वर्ष दिनांक 24.01.2024 को भारत एवं नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सटीक विवेचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 09.05.2025 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम ने ताशी शेरपा को 05 वर्ष के कठोर कारावास और 10000.0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यह मामला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह देश का पहला मामला है जिसमें शिकारियों, कूरियर, बिचौलिये और तस्करों सहित 28 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया। एसटीएसएफ ने प्रकरण में वैज्ञानिक विवेचना करते हुए आरोपियों के ब्रेन मैपिंग (बीईओएस) और नार्को एनालिसिस परीक्षण करवाये, जिससे उसके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके अतिरिक्त, साइबर डेटा भी एकत्र कर माननीय न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया। जांच के दौरान, एसटीएसएफ ने विभिन्न् कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उक्त कार्यवाही में लगातार सहायता प्रदान की जा रही है।

इंटरपोल, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO-Interpol) कहा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो 195 से अधिक देशों ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया भर में पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल द्वारा 04 बार एसटीएसएफ के कार्यो की सराहना की जा चुकी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन अपराध में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**62/25,** दिनांक **29.09.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई इंदौर एवं वन्यजीव कार्यालय इंदौर के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 19-08-2025 को आरोपी कपिल पिता मोहनलाल शर्मा के खातीवाला टेंक स्थित मकान व उसके आफिस से Star Tortoies *(Geochelone elegans)* 04 नग, तोता 01 नग*(Psittacula eupatria)* ब्लेक कोरल 01 नग *(antipatharians)*, सियारसिंगी *(Canis aureus)* 01 नग, कोरल*(Diploria labyrinthiformis)* 02 नग, एवं अन्य वन्यजीव अवयव जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची प्रथम एवं अनुसूची द्वितीय के है, जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/21 दिनांक 19.08.25 दर्ज किया गया। ।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी कपिल शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर में प्रथम जमानत याचिका MCRC 39513/25 क्रमशः दायर की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व अपराध की गंभीरता, प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी की प्रथम जमानत आवेदन पत्र बीएनएसएस की धारा 483 के तहत निरस्त की गई। इसके पूर्व भी आरोपी जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायायलय इंदौर, माननीय सीजेएम न्यायालय इंदौर से निरस्त की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की गई बडी कार्यवाही; अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**63/25, दिनांक 29.09.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। प्रकरण में 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 26.09.2025 को प्रकरण में फरार आरोपी की आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सिमारा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश
5. आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सपोटरा जिला करौली राजस्थान

उक्त आरोपी आशिक खान को एसटीएसएफ हेतु अधिकृत माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जावेगी। प्रकरण में गिरफ्तार अन्य आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। आरोपी विजय गोंड व राजू आदिवासी की जमानत याचिका सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि यह जलीय जीव कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश भेजे जा रहे थे। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**64/25,** दिनांक **06.10.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। । उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश
5. आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सपोटरा जिला करौली राजस्थान

प्रकरण में शामिल आरोपी विजय पिता शाशिकांत गोंड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर में प्रथम जमानत याचिका MCRC-45244/2025 दायर की जिसे माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता के आधार पर निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में सभी आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल गिरोह के मेघालय व मिजोरम निवासी आरोपियों की जमानत याचिकाये माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(65 / 25, दिनांक 08.10.2025)

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम / मिजोरम में बेचने व म्यांनमार के रास्ते चीन तक तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237 / 17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक 04 विभिन्न राज्यों के 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1. सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर, हरियाणा
2. लालनेसंग हमार पिता लाल्टलंगथांग निवासी हैप्पी वैली ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय
3. निंग सान लून पति कापलियानमंग निवासी ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग मेघालय
4. जामखानकाप पिता थांगजाचिना निवासी जिला ऐजावल, मिजोरम
5. राजकुमार बावरिया पिता भाना बावरिया निवासी बद्दी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण की विवेचना के दौरान बालाघाट से बाघ के अवयवों की खरीद–फरौख्त में शामिल आरोपी लालनेसंग हमार पिता लाल्टलंगथांग निवासी हैप्पी वैली ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय एवं आरोपी जामखानकाप निवासी थुम्पुई जिला आईजोल (मिजोरम) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त आरोपी जामखानकाप के विरूद्ध वनमंडल राजुरा महाराष्ट्र में भी वन अपराध क्रमांक 8893 / 222322 / 2025 बाघ के शिकार का प्रकरण दर्ज है साथ ही उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनीलॉड्रिंग केस में भी विवेचना की जा रही है। उक्त दोनो आरोपी अपनी गिरफ्तारी दिनांक से ही जेल में निरूद्ध हैं।

उक्त आरोपी लालनेसंग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में जमानत हेतु प्रथम आवेदन क्रमशः MCRC. No-39930/2025 प्रस्तुत किया व आरोपी जामखानकाप के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में जमानत हेतु तृतीय आवेदन MCRC. No-36365/2025 प्रस्तुत किये गये। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के अवयवों की तस्करी करने वाले इन दो आरोपियों की जमानत याचिकाऐं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50(8) के तहत दर्ज आवेदक के बयान की विषय वस्तु को देखते हुये **भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 483 के तहत खारिज की गई।** प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को अवैध तरीके से जलाकर अपराधिक कृत्य करने वाले 02 आरोपी/शासकीय सेवको को शासकीय सेवा से हटाया गया

प्रेस विज्ञप्ती (**66/25,** दिनांक **09.10.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को परिक्षेत्र सहायक एवं वनरक्षक के निर्देश पर 06 सुरक्षा श्रमिको के द्वारा जंगल में ही अवैधानिक तरीके से जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 2(16)(c), 39 (1), 39(3) ,39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2023", 48(A) एवं 52के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है| उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्त समस्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 03.10.2025 को वनमंडलाधिकारी , दक्षिण सामान्य वनमंडल द्वारा विगत दो माह से फरार आरोपी शासकीय सेवक हिमांशु घोरमारे, तत्कालीन वनरक्षक एवं टिकाराम हनोते, तत्कालीन वनपाल के विरुद्ध म .प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं म .प्र . सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(viii) एवं 14(4) के तहत कार्यवाही करते हुए सेवा से प्रथक करने सम्बन्धी कार्यवाही की गयी है | उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी द्वारा दिनांक 06.10.2025 को स्थायी वारंट जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में न्यायिक हिरासत में जेल में निरुद्ध आरोपियों के विरुद्ध जाँच कार्यवाही पूर्ण कर परिवाद माननीय न्यायालय, वारासिवनी में दिनांक 25.09.2025 को पेश किया जा चुका है | फरार आरोपियों के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही किया जाना शेष है |

उक्त प्रकरण में फरार आरोपियों हिमांशु घोरमारे एवं टिकाराम हनोते के सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्तियों को राशी 5000/- (पांच हजार रूपए) के इनाम की घोषणा जारी की गयी है | **सूचना देने हेतु मोबाइल नम्बर 7067898223, 9399185452से संपर्क कर सकते है।** वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है |

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**67/25,** दिनांक **17.10.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। । उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश
5. आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सपोटरा जिला करौली राजस्थान

प्रकरण में शामिल आरोपी आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश में प्रथम जमानत याचिका BA-834/2025 दायर की जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता, आपेक्ष की प्रकृति एवं अनुसंधान अपूर्ण होने के दृष्टिगत जमानत का लाभ नही दिया जा सकता जिस कारण जमानत याचिका निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

मध्यप्रदेश वन विभाग के अधिकारी को यूनाइटेड नेशन से मिला अंतराष्ट्रीय अवार्ड

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश प्रभारी, श्री रितेश सरोठिया को वन एवं वन्यजीव अपराध की रोकथाम सम्बधी उत्कृष्ट कार्य हेतु अंतराष्ट्रीय अवार्ड

"The Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence Award 2024-2025" मिला

प्रेस विज्ञप्ती (**68/25**, दिनांक **18.10.2025)**

माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश के वन विभाग द्वारा वन, वन्यजीव एवं जैविविधता संरक्षण के क्षेत्र में लगतार नए आयाम तय किये जा रहे है, इसी दिशा में वन विभाग के अंतर्गत गठित स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के प्रभारी श्री रितेश सरोठिया (भा.व.से.) उप वन संरक्षक को "The Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence Award 2024-2025" प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 17 अक्टूबर 2025 को वर्चुअल पुरस्कार समारोह, बैकाक (थाईलैंड) में दिया गया। यह अवार्ड UNEP द्वारा आयोजित किया गया।

उक्त अवार्ड उन व्यक्तियों/ सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता हैं जो देश से सीमापार अपराध अन्वेषण में राष्ट्रीय कानूनों के प्रवर्तन में उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन करते है। जिसमें वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनिजों और रेत का अवैध व्यापार परिवहन, अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशक का अवैध व्यापार, ओजोन क्षयकारी पदार्थ और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का अवैध व्यापार के रोकथाम हेतु दिया जाता है। उक्त अवार्ड हेतु चयन अंतराष्ट्रीय स्तर की ज्यूरी जिसमें प्रतिष्ठित संस्थाओं UNEP, INTERPOL, UNODC, World Bank, CITES, UNDP के प्रतिनिधि द्वारा गहन विचार एवं चर्चा उपरांत किया जाता है।

इस बार वन्यजीव के अवैध व्यापार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्य करने वाले चीन, इंडोनेसिया, सिंगापुर एवं भारत देश की कुल 07 कानून प्रवर्तन संस्था/ अधिकारियों को विभिन्न श्रेणी में सम्मानित किया गया है। भारत से श्री रितेश सरोठिया को अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संगठित गिरोह जिसका नेटवर्क भारत सहित चीन, भूटान, एवं म्यांमार में फैला है, इन गिरोह के विरूद्ध लगातार कार्यवाही कर कई कानून प्रवर्तन संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर लिप्त सरगनाओं को गिरफ्तार कर प्रकरण की वैज्ञानिक अन्वेषण कर उन्हे सजा दिलाने में किये गये कार्यो हेतु एवं वन/ वन्यजीव कानून प्रवर्तन में कार्यरत अन्य समस्त हितधारकों मुख्यत: न्यायिक अधिकारियों को वन एवं वन्यजीव कानूनों के प्रति ओर जागृत करने के अथक प्रयासों हेतु दिया गया है

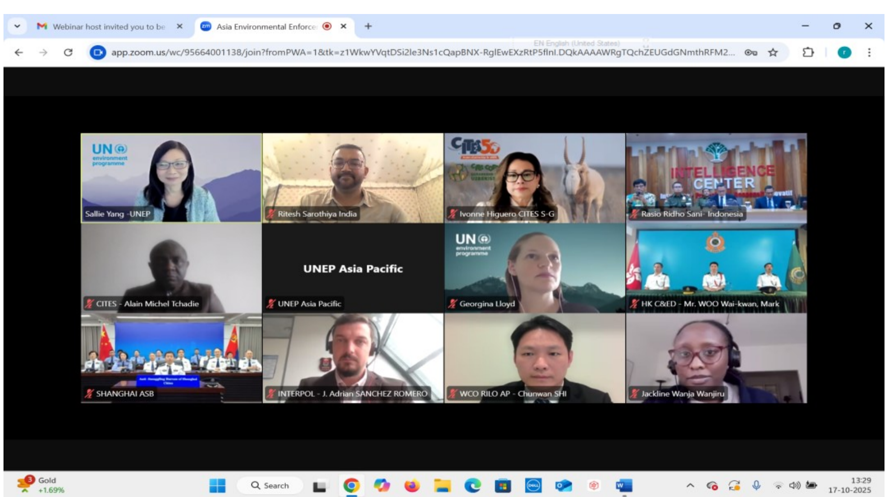

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश के सतत मार्गदर्शन पर कार्य करते हुये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा श्री रितेश सरोठिया के नेतृत्व में विगत कुछ वर्षो में वन एवं वन्यजीव अपराधों में लिप्त कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर लगभग 1500 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन इकाई द्वारा किये गये वन्यप्राणी संरक्षण कार्य की सराहना न केवल प्रदेश, देश बल्कि देश के बाहर भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन (इंटरपोल) द्वारा 04 बार एसटीएसएफ की प्रशंसा की गई है। इसमें पूर्व में भी श्री सरोठिया को तीन बार अंतराष्ट्रीय पुरस्कार, दक्षिण अफ्रीका में CITES Secretary General द्वारा वर्ष 2016 में ''Clark R Bavin International Wildlife Law Enforcement Award'' व Nature Conservation संस्थान के द्वारा वर्ष 2021 में People of Nature Award प्रदान किया जा चुका है। ऐसा बहुत कम ही हुआ है जहा किसी को तीन बार अंतराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ हो।

श्री सरोठिया ने उक्त अवार्ड स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स व उसकी अनिस्थ 04 क्षेत्रिय इकाईयों के समस्त सदस्यों, प्रदेश वन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं साथियों को समर्पित किया है। श्री सरोठिया द्वारा देश एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का चौथा आरोपी मुम्बई, महाराष्ट्र से गिरफ्तार</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**69/25,** दिनांक **29.10.2025)**</u>

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच-02-ई.पी.-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया जाना पाया।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतरराज्यीय स्तर पर संघटित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्रकरण में गिरफ्तार तीन आरोपियों से रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीवों के शिकार में प्रयुक्त आग्नेयशास्त्र एवम कारतूस भारी मात्रा में जप्त किये गए थे। प्रकरण में दिनाँक 27.10.2025 को कार्यवाही करते हुये उक्त गिरोह का आरोपी सबाह पिता सलाहुद्दीन, निवासी मिल्लत नगर, जोगेस्वरी, मुम्बई को मुम्बई से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, निवासी मित्तल नगर वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. इम्तियाज पिता शकील खान, निवासी मित्तल नगर, ओशिवारा वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
3. सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुनावर मोमिन नगर वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. सबाह पिता सलाहुद्दीन, निवासी मिल्लत नगर, जोगेस्वरी, मुम्बई (महाराष्ट्र)

आरोपी सबाह को एसटीएसएफ विशेष न्यायालय, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी सलमान, आरोपी इम्तियाज व जोहर केन्द्रीय जेल इंदौर में विगत 10 माह से निरूद्ध है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को अवैधानिक तरीके से नष्ट कर साक्ष्य मिटाने के अपराधिक कृत्य करने वाले पूर्व शासकीय सेवक, ईनामी व वारंटी, आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**70/25,** दिनांक **04.11.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को परिक्षेत्र सहायक एवं वनरक्षक के निर्देश पर 06 सुरक्षा श्रमिको के द्वारा जंगल में ही अवैधानिक तरीके से जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 39 (1), 39(3) ,39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2023", 48(A) एवं 52के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है| उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्त समस्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

दिनाँक 02.11.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे ग्वारीघाट से कार्यवाही करते हुये प्रकरण में फरार सातवा आरोपी टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट को गिरफ्तार किया है। उक्त् आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000/- पांच हजार रूपये का ईमान घोषित किया गया था। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. शिवकुमार धर्वे पिता सुरपात धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
2. देव सिंह कुम्भरे पिता गनपत सिंह कुम्भरे निवासी बोरीटोला,लालबर्रा जिला बालाघाट
3. शैलेष धुर्वे पिता ज्ञानसिंह धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
4. हरिलाल एड़पाचे पिता सितकुर एड़पाचे निवासी चितालटोला, लालबर्रा जिला बालाघाट
5. अनुज सिरसाम पिता मिठ्ठनसिंह सिरसाम निवासी टेकाडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
6. मानसिंह सलामे पिता दीपसिंह सलामे निवासी खैरगोंडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
7. टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट

वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल द्वारा टिकाराम हनोते, तत्कालीन वनपाल व हिमांशु घोरमारे तत्कालीन वनरक्षक के विरुद्ध म .प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं म .प्र . सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(viii) एवं 14(4) के तहत कार्यवाही करते हुए सेवा से प्रथक करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार सभी 06 आरोपी वारा सिवनी जेल में निरूद्ध है। उक्त आरोपियों की जमानत याचिका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के साथ साथ अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में फरार आरोपी हिमांशु घोरमारे के सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्तियों को राशी 5000/- (पांच हजार रूपए) के इनाम की घोषणा जारी की गयी है | **सूचना देने हेतु मोबाइल नम्बर 7067898223, 9399185452से संपर्क कर सकते है।** वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है |

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर से बाघ एवं अन्य वन्यजीव के अवैध शिकार में शामिल अंतर्राज्जीय गिरोह के फरार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**71/25,** दिनांक **13.11.2025)**</u>

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर इसकी क्षेत्रीय इकाई भोपाल**,** शिवपुरी एवं वनमंडल श्योपुर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सवाई माधौपुर-श्योपुर-कराहल मार्ग पर घेराबंदी कर दिनांक 04.06.25 को 01 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 225 नग वन्यजीव के अवयव (हड्डिया) जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/19 दिनांक 04.06.25 दर्ज किया गया। प्रकरण में नवीन वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये।

उक्त प्रकरण क्रमांक 237/19 दिनांक 04.06.25 में फरार आरोपी राज्या भील पिता ज्ञान सिंह भील के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर में प्रथम अग्रिम जमानत याचिका क्रमांक एमसीआरसी नमम्बर 51905/2025 लगाई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2025 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई शिवपुरी के द्वारा सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार बीएनएसएसकी धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत याचिका निरस्त किया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अंतराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका का माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती
(72 / 25, दिनांक 15.11.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय, के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, इम्तियाज पिता शकील खान, सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच–02–ई.पी.–4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675 / 09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा में शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया जाना पाया।

उक्त प्रकरण में आरोपी सलमान निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) द्वारा द्वितीय जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर (एमसीआरसी क्रमांक 47713 / 2025) में दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई इंदौर द्वारा की गई सटीक विवचेना एवं रखा गया ठोस पक्ष के आधार पर खारिज की गई। इसके पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, माननीय जिला सत्र न्यायालय डॉ. अंबेडकर नगर जिला इंदौर के द्वारा दो बार आरोपी सलमान की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। आरोपी सलमान व 02 अन्य सह आरोपी 11 माह से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष–एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ का करेन्ट लगाकर शिकार करने वाले दो आरोपी एसटीएसएफ द्वारा पकडे गये

प्रेस विज्ञप्ती (**73/25,** दिनांक **18.11.2025)**

संजय टाइगर रिजर्व के ब्योहारी परिक्षेत्र में दिनांक 08.11.2025 को ग्राम बोचरों में एक खेत में वन्यप्राणी के अंग पाये जाने के बाद अपराध प्रकरण क्रमांक 468/01 दिनांक 08.11.2025 दर्ज किया गया था। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई व संजय टाइगर रिजर्व संयुक्त अमले के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये शहडोल जिले से 02 आरोपियों 1. अम्ब्रीष लोनी पिता रामबदन लोनी 2. लल्लू कोल पिता गेदालाल कोल ग्राम बोचरो, परिक्षेत्र ब्योहारी (बफर) जिला शहडोल को छापामार कार्यवाही कर दिनांक 14.11.2025 को गिरफ्तार किया। आरोपियों द्वारा बाघ को करेन्ट लगाकर मारना बताया तथा बताये गये स्थल की स्थानीय अमले के साथ मौका शिनाख्ति में आरोपियों द्वारा बताया गया कि तार एवं खूटियों की सहायता से जंगली जानवर के शिकार के उद्देष्य से करेन्ट लगाया गया था। जिससे बाघ की मृत्यु हो गई व हम लोगो ने बाघ के शव को काट कर उसकी खाल अलग कर बचे अवशेषों को अलग-अलग जगह खेत में दबा दिया था। उक्त जप्त, अवयवों, बाघ की खाल को विधिवत जप्त कर स्थानीय अमले के द्वारा विभिन्न फॉरेन्सिक लैब भेजा जायेगा।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई संजय टाइगर रिजर्व के अमले के सहयोग से उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय ब्यौहारी में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का पांचवा आरोपी पीलूखेडी, राजगढ म.प्र. से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**74/25,** दिनांक **18.11.2025)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच-02-ई.पी.-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया जाना पाया। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतरराज्यीय स्तर पर संघटित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्रकरण में गिरफ्तार तीन आरोपियों से रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीवों के शिकार में प्रयुक्त आग्नेयशास्त्र एवम कारतूस भारी मात्रा में जप्त किये गए थे।

प्रकरण में दिनाँक 14.11.2025 को एसटीएसएफ मुख्यालय व इकाई भोपाल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी आजाद सिंह सोलंकी पिता चतरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम राघौखेडी जिला शाजापुर को भोपाल-ब्यावरा नेशनल हाइवे के पास इंडस्ट्रिलय एरिया पिलूखेडी, राजगढ बाबा होटल के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. जोहर हुसैन पिता इब्राहिम हुसैन, निवासी मित्तल नगर वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. इम्तियाज पिता शकील खान, निवासी मित्तल नगर, ओशिवारा वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
3. सलमान पिता हारून पियारजी निवासी मुनावर मोमिन नगर वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. सबाह पिता सलाहुद्दीन, निवासी मिल्लत नगर, जोगेस्वरी, मुम्बई (महाराष्ट्र)
5. आजाद सिंह सोलंकी पिता चतरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम राघौखेडी जिला शाजापुर

आरोपी आजाद सिंह सोलंकी आजाद सिंह सोलंकी उर्फ चिन्टू बना को एसटीएसएफ विशेष न्यायालय, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी सलमान, आरोपी इम्तियाज व जोहर केन्द्रीय जेल इंदौर में विगत 11 माह से निरूद्ध है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्याल कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ का शिकार करने वाले संगठित गिरोह के सभी 09 आरोपियों को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम द्वारा सजा सुनाई

प्रेस विज्ञप्ती (**75/25,** दिनांक **19.11.2025)**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यजीव) के निर्देशन में दिनांक 03.12.2018 को मुखबिर की सूचना के आधार पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश, मुख्यालय भोपाल एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई भोपाल (पूर्व में नर्मदापुरम) का एक दल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के दल का सहयोग करने हेतु रवाना हुआ।

उक्त एसटीएसएफ एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के संयुक्त दल द्वारा राजस्व ग्राम कामती में बालिका छात्रावास के पास जामन सिंह बट्टी के खेत में बने टप्पर के पास धनवर्षा हेतु बाघ की खाल एवं 3 नग मूंछ के बाल के साथ पूजन पाठ करते हुये हेमंत कुमार उर्फ बब्लू बट्टी, ओमप्रकाश, जयप्रकाश, चमन सिंह को पकड़ा गया। एसटीएसएफ एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही कर वन परिक्षेत्र अधिकारी बागड़ा बफर के द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21065/07 दिनांक 03.12.2018 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के अर्न्तगत पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान पूछताछ में हेमन्त उर्फ बब्लू बट्टी के द्वारा बताया गया कि उसके घर के पूजा वाले स्थान पर बाघ के 03 पंजे कटे-पिटे 12 नग नाखून सहित रखे हैं, जिसे हेमन्त उर्फ बब्लू बट्टी के द्वारा दिनांक 04.12.2018 को जप्ती कराई गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 04.12.2018 को माननीय न्यायालय में पेश कर तीन दिन का फॉरेस्ट रिमांड लिया गया। अग्रिम विवेचना में अन्य 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम का सहयोग करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों द्वारा माननीय न्यायालय नर्मदापुरम में सफल अभियोजन की कार्यवाही की गई, जिससे दिनांक 12/11/2025 को माननीय न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा निर्णय में अभियुक्तगण ने दिनांक 18.12.2018 या उसके पूर्व वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के उल्लंघन में वन्यप्राणी बाघ का शिकार किया एवं उक्त नियम की धारा 49 बी के उल्लंघन में ग्राम कंडी, प्राणी वस्तु, ट्राफी को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। प्रकरण की परिस्थिति और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को अपराधी परिवीधा विधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः समस्त परिस्थिति एवं कारित अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुये सभी **09 आरोपियों को दोषी मानते हुए 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000- 25000 के जुर्माने से दंडित किया गया।** उक्त निर्णय शासन हित में सतपुडा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा संयुक्त एवं प्रभावी कार्यवाही के उपरांत ही यह सफलता हासिल हो पाई।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को अवैधानिक तरीके से नष्ट कर साक्ष्य मिटाने के अपराधिक कृत्य करने वाले पूर्व शासकीय सेवक, ईनामी व वारंटी, आरोपी हिमांशु घोरमारे जबलपुर से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**76/25,** दिनांक **21.11.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को परिक्षेत्र सहायक एवं वनरक्षक के निर्देश पर 06 सुरक्षा श्रमिको के द्वारा जंगल में ही अवैधानिक तरीके से जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 39 (1), 39(3) ,39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2023", 48(A) एवं 52के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है| उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्त समस्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

दिनाँक 20.11.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हिमांशु घोरमोरे जबलपुर में घुमता हुआ दिखाई दिया, सूचना के आधार घंटाघर सिविल लाईन के पास से कार्यवाही करते हुये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर के द्वारा प्रकरण में फरार आठवा आरोपी हिमांशु घोरमारे पिता डुलचंद घोरमारे, अवधपुरी कॉलोनी बालाघाट को गिरफ्तार किया है। उक्त् आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000/- पांच हजार रूपये का ईमान घोषित किया गया था। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. शिवकुमार धर्वे पिता सुरपात धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
2. देव सिंह कुम्भरे पिता गनपत सिंह कुम्भरे निवासी बोरीटोला,लालबर्रा जिला बालाघाट
3. शैलेष धुर्वे पिता ज्ञानसिंह धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
4. हरिलाल एड़पाचे पिता सितकुर एड़पाचे निवासी चितालटोला, लालबर्रा जिला बालाघाट
5. अनुज सिरसाम पिता मिठ्ठनसिंह सिरसाम निवासी टेकाडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
6. मानसिंह सलामे पिता दीपसिंह सलामे निवासी खैरगोंडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
7. टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट
8. हिमांशु घोरमारे पिता डुलचंद घोरमारे, अवधपुरी कॉलोनी , जिला – बालाघाट

वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल द्वारा टिकाराम हनोते, तत्कालीन वनपाल व हिमांशु घोरमारे तत्कालीन वनरक्षक के विरुद्ध म .प्र . सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं म .प्र . सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(viii) एवं 14(4) के तहत कार्यवाही करते हुए सेवा से प्रथक करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उक्त आरोपी हिमांशु घोरमारे को माननीय न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार सभी 07 आरोपी वारा सिवनी जेल में निरूद्ध है। उक्त प्रकरण में पूर्व में आरोपियों की जमानत याचिका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के साथ साथ अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है |

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का आरोपी आजाद की जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा ख़ारिज</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**77/25,** दिनांक **23.11.2025)**</u>

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मॉस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच-02-ई.पी.-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया जाना पाया। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतरराज्यीय स्तर पर संघटित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्रकरण में गिरफ्तार तीन आरोपियों से रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीवों के शिकार में प्रयुक्त आग्नेयशास्त्र एवम कारतूस भारी मात्रा में जप्त किये गए थे।

प्रकरण में दिनाँक 14.11.2025 को एसटीएसएफ मुख्यालय व इकाई भोपाल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी आजाद सिंह सोलंकी पिता चतरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम राघौखेडी जिला शाजापुर को भोपाल-ब्यावरा नेशनल हाइवे के पास इंडस्ट्रिलय एरिया पिलूखेडी, राजगढ बाबा होटल के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रकरण में 05 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

उक्त प्रकरण में आरोपी आजाद द्वारा प्रथम जमानत याचिका BA 4479/2025 माननीय सत्र न्यायालय इंदौर में दायर की गयी थी। जिसे माननीय सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश इकाई इंदौर द्वारा की गई सटीक विवचेना एवं रखा गए ठोस पक्ष के आधार पर खारिज की गई। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश से निरस्त</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**78/25, दिनांक 04.12.2025)**</u>

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। । उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय गोंड पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश
5. आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सपोटरा जिला करौली राजस्थान

प्रकरण में शामिल आरोपी आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश में द्वितीय जमानत याचिका BA-941/2025 दायर की जिसे माननीय अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी मध्यप्रदेश द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता के आधार पर निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में सभी आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को अवैधानिक तरीके से नष्ट कर साक्ष्य मिटाने के अपराधिक कृत्य करने वाले आरोपी शासकीय सेवक की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**79/25, दिनांक 05.12.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्रा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को परिक्षेत्र सहायक एवं वनरक्षक के निर्देश पर 06 सुरक्षा श्रमिको के द्वारा जंगल में ही अवैधानिक तरीके से जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 39 (1), 39(3) ,39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2023", 48(A) एवं 52के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है| उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्त समस्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

दिनाँक 02.11.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जबलपुर ग्वारीघाट नर्मदा नदी के पास से कार्यवाही करते हुये प्रकरण में फरार आरोपी टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. शिवकुमार धर्वे पिता सुरपात धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
2. देव सिंह कुम्भरे पिता गनपत सिंह कुम्भरे निवासी बोरीटोला,लालबर्रा जिला बालाघाट
3. शैलेष धुर्वे पिता ज्ञानसिंह धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्रा जिला बालाघाट
4. हरिलाल एड़पाचे पिता सितकुर एड़पाचे निवासी चितालटोला, लालबर्रा जिला बालाघाट
5. अनुज सिरसाम पिता मिठ्ठनसिंह सिरसाम निवासी टेकाडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
6. मानसिंह सलामे पिता दीपसिंह सलामे निवासी खैरगोंडी, लालबर्रा जिला बालाघाट
7. टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट
8. हिमांशु घोरमारे पिता डुलचंद घोरमारे निवासी बालाघाट

प्रकरण में शामिल आरोपी शासकीय सेवक (बर्खास्त) टीकाराम हनोते, वनपाल द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट में प्रथम जमानत याचिका BA 320/2025 दायर की गई जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर द्वारा की गई सटीक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व अपराध की गंभीरता प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी शासकीय सेवक की जमानत याचिका निरस्त की गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (80 / 25, दिनांक 05.12.2025)

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा भारत-चीन सीमा के पास सिक्किम से गिरफ्तार* स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली की ऐतिहासिक कार्रवाई

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इस दिशा में कार्यवाही करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली ने 10 साल से वांछित, अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को, अंतत: दिनांक 02.12.2025 को भारत-चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम (सिक्किम) में कई महीनों की कड़ी मेहनत के उपरांत सफलता पूर्वक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार किया गया।

जुलाई 2015 में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में बाघ एवं पेंगोलिन के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों व पेंगोलिन के स्केल की नेपाल के रास्ते चीन में अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें यांगचेन लाचुंगपा वांछित थी। प्रकरण की गंभीरता के कारण वन मुख्यालय ने इसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना हेतु सौंप दिया गया। एसटीएसएफ ने एक संगठित एवं अंतराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें अभी तक कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यांगचेन लाचुंगपा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, भूटान, और चीन तक फैला हुआ है। यांगचेन लाचुंगपा के गिरोह के कई देशों में फैले नेटवर्क को देखते हुए भारत सरकार के अनुरोध पर **इंटरपोल के द्वारा यांगचेन लाचुंगपा के विरूद्ध रेड नोटिस भी जारी** किया गया है ताकि उसे किसी भी देश में संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सके।

यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत की निवासी है एवं भारत में मुख्यता: दिल्ली एवं सिक्किम राज्यों में रही/रहती है। यांगचेन के सर्व प्रथम वर्ष सितम्बर 2017 में भी पकड़ा कर ट्रांजिट रिमांड हेतु पेश किया गया था परन्तु न्यायालय से अंतरित जमानत मिलने के बाद फरार हो गई, उसकी अग्रिम जमानत को मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी वर्ष 2019 में खारिज कर दिया था।

यांगचेन लाचुंगपा लगातार गिरफ्तारी से बचने एजेंसियों को चकमा दे रही थी, अतत: दिनांक 02.12.2025 को मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं केन्द्र सरकार की वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली की संयुक्त टीम ने अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में -7 तापमान के क्षेत्र में जाकर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर लाचुंग, मंगन (सिक्किम) से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय गंगटोक के समक्ष पेश कर मध्यप्रदेश शासन का ठोस पक्ष रख कर ट्रांजिट वांरट दिनांक 03.12.25 को रात्रि में प्राप्त किया गया और उसे मध्यप्रदेश लाया जा रहा है। इस कार्यवाही में सिक्किम पुलिस का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

यह वन अपराध प्रकरण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह देश का पहला मामला है जिसमें शिकारियों, कूरियर, बिचौलिये और तस्करों सहित 31 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूर्व में गिरफ्तार सभी आरोपियों को सजा भी हो चुकी है। आज आरोपी यांगचेन को माननीय विशेष न्यायालय नर्मदापुरम में पेश कर रिमांड मांगा जायेगा ताकि इस गंभीर प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा सके। इस सफलता पूर्वक कार्यवाही में शामिल एसटीएसएफ के दल को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरूष्कृत किया जायेगा।

जय हिन्द

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की तस्करी में शामिल आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**81/25, दिनांक 10.12.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। । उक्त कार्यवाही में स्थानीय पुलिस व वनमंडल मुरैना द्वारा भी सहयोग से अंतर्राज्जीय संगठित गिरोह का भंडाफोड किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय गोंड पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश
5. आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सपोटरा जिला करौली राजस्थान

प्रकरण में शामिल आरोपी विजय गोंड पिता शाशिकांत गोंड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर में द्वितीय जमानत याचिका MCRC-48160/2025 दायर की जिसे माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर आरोपी की अपराध में संलिप्तता के आधार पर निरस्त की गई। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में सभी आरोपी सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के शिकार तस्करी में दो वर्षों से फरार स्थाई गिरफ्तार वारंटी आरोपी सिवनी से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(82/25, दिनांक 15.12.2025)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश क्षेत्रीय इकाई जबलपुर वनमंडल दक्षिण सिवनी, वनमंडल दक्षिण बालघाट एवं पुलिस थाना लांजी के द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर बस स्टैन्ड सिवनी से शमसुद्दीन खान उर्फ श्यामू खान, निवासी दक्षिण परिखेता जिला कोरधा ओडिसा को गिरफ्तार किया है।

उक्त आरोपियों के विरूद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वनमंडल दक्षिण बालाघाट में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 11614/20 दिनांक 20.09.2014 वन्यजीव पेंगोलिन के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी के संबंध में पंजीबद्ध किया गया था। विगत 02 वर्षो से उक्त आरोपी फरार था तथा इनके विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लांजी जिला बालाघाट द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी वन्यजीव पेंगोलिन स्केल्स तस्करी में आदतन आरोपी है। जिसके विरूद्ध अपराध प्रकरण 23242/5, प्रकरण क्रमांक 03, 2018–19 महानदी वन्यजीव वनमंडल नयागढ ओडिसा, प्रकरण क्रमांक 10/2018 दि. 22.06.2015 सीआईडी ओडिसा, प्रकरण क्र. 38992/16 दि. 20.05.2015 पेंच टाइगर रिजर्व व 2271/55 दि. 30.04.2015 एसटीएसएफ–इकाई जबलपुर दर्ज है। जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा पकडने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपी सिवनी के आसपास मध्यप्रदेश में है। संयुक्त दल द्वारा बस स्टैन्ड के पास उक्त हुलिये अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की गई उसने अपना नाम शमसुद्दीन खान उर्फ श्यामू खान, बताया गया जिन्हें गिरफ्तार कर स्थानीय अमले को सौपा गया। उक्त आरोपी को आज दिनांक को माननीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी लांजी जिला बालाघाट में पेश किया जावेगा।

एसटीएसएफ के द्वारा दुर्लभ प्रजाति वन्यजीव पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी का अतंर्राज्जीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 197 आरोपियों को देश के 15 राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरपोल द्वारा पेंगोलिन को विश्व में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी कहा है। वन्यप्राणी पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी एशिया व अफ्रीका के कई देश सें की जाती है। इसकी मांग मुख्यतः चीन, म्यानमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, हॉगकॉग, वियतमान आदि देशों में है।

प्राधिकृत अधिकारी
कर्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
(कक्ष–एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के शिकार तस्करी में 11 वषों से फरार स्थाई गिरफ्तार वारंटी आरोपी मिजोरम से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**82/25**, दिनांक **15.12.2025)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई, जबलपुर को वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा से हस्तांतरित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2271/55 दिनांक 30.04.2015 जो कि वन्यप्राणी पेंगोलिन अनुसूची-**I** के अवैध शिकार एवं उनके अवयवों का अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवैध व्यापार से संबंधित है। प्रकरण में अब तक कुल 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपी लालटलनकुंगा पिता व्ही.एल. वुआना निवासी वैंगलई बाजार, कोलासिब मिजोरम प्रकरण में लगभग 11 वर्ष से फरार था। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु माननीय सी.जे.एम. न्यायालय जबलपुर द्वारा अब तक 03 गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये थे जिसके परिपालन में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई, जबलपुर के वन अमले द्वारा मुखबिर तंत्र विकसित कर वैंगलई बाजार, कोलासिब मिजोरम से दिनांक 12.12.2025 को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी लालटलनकुंगा देश के वन्यप्राणी तस्करों के गिरोह में एक मुख्य सरगना है। जिसके विरूद्ध मध्यप्रदेश में 02 प्रकरण एवं ओडिशा में 01 प्रकरण दर्ज है, जो वन्यप्राणी पेंगोलिन के अवयवों के अवैघ व्यापार से संबंधित है।

मध्यप्रदेश में दर्ज प्रकरणों में इन तस्करों द्वारा पेंगोलिन के स्केल्स मुख्यतः उडीसा, छत्तीसगढ़ आन्ध्रप्रदेश्, मध्यप्रदेश से खरीदे जाते थें तथा उसे असम, मिजोरम, मणिपुर के व्यापारी को बेचा जाता है जहॉ व्यापारियों के द्वारा उसे म्यानमांर (बर्मा) होते हुये चीन भेजा जाता है।

एसटीएसएफ के द्वारा दुर्लभ प्रजाति वन्यप्राणी पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी का अतंर्राज्जीय एवं अतंर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह संभवतः देश की सबसे बडी वन्यप्राणी अपराध संबंधी विवेचना है। जिसमे एसटीएसएफ द्वारा विगत 09 वर्षो में 197 आरोपियों को देश के 15 राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है।

इंटरपोल द्वारा पेगोंलिन को विष्व में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी कहा है। वन्यप्राणी पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी एशिया व अफ्रीका के कई देश से की जाती हैं। इसकी मांग मुख्यतः चीन, म्यानमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, हॉगकॉग, वियतनाम आदि देशों में है।

आरोपी को गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वर्ग-**II** कोलासिब, मिजोरम के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लेकर मुख्यालय जबलपुर लाया गया। दिनांक 15.12.2025 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष पेश कर पुलिस/फॉरेस्ट अभिरक्षा में दिनांक 15.12.2025 से 18.12.2025 तक लेने हेतु निवेदन किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकरण की विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (83/25, दिनांक 22.12.2025)

*** वन्यजीव बाघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाली महिला आरोपी यांगचेन लाचुंगपा निवासी सिक्किम की प्रथम जमानत याचिका माननीय प्रथम अपर सेशन न्यायालय नर्मदापुरम मध्यप्रदेश से निरस्त***

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इस दिशा में कार्यवाही करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली ने 10 साल से वांछित, अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को, अंतत: दिनांक 02.12.2025 को भारत-चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम (सिक्किम) में कई महीनों की कड़ी मेहनत के उपरांत सफलता पूर्वक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार किया गया था।

जुलाई 2015 में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में बाघ एवं पेंगोलिन के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों व पेंगोलिन के स्केल की नेपाल के रास्ते चीन में अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्रकरण 14198/03 दिनांक 13-07-2015 दर्ज किया गया था जिसमें यांगचेन लाचुंगपा वांछित थी। प्रकरण की गंभीरता के कारण वन मुख्यालय ने इसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना हेतु सौंप दिया गया। एसटीएसएफ ने एक संगठित एवं अंतराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें अभी तक कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यांगचेन लाचुंगपा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, भूटान, और चीन तक फैला हुआ है।

यांगचेन लाचुंगपा के गिरोह के कई देशों में फैले नेटवर्क को देखते हुए भारत सरकार के अनुरोध पर **इंटरपोल के द्वारा यांगचेन लाचुंगपा के विरूद्ध रेड नोटिस भी जारी** किया गया है यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत की निवासी है एवं भारत में मुख्यता: दिल्ली एवं सिक्किम राज्यों में रही/रहती है। यांगचेन के सर्व प्रथम वर्ष सितम्बर 2017 में भी पकड़ा कर ट्रांजिट रिमांड हेतु पेश किया गया था परन्तु न्यायालय से अंतरित जमानत मिलने के बाद फरार हो गई, उसकी अग्रिम जमानत को मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी वर्ष 2019 में खारिज कर दिया था।

प्रकरण में शामिल आरोपी यांगचेन लाचुंगपा द्वारा माननीय प्रथम अपर सेशन न्यायालय नर्मदापुरम मध्यप्रदेश में प्रथम जमानत याचिका BA-331/2025 दायर की जिसे माननीय अपर सेशन न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व आरोपी की वन्यप्राणियों के तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति के आधार पर निरस्त की गई। यह वही प्रकरण है जिसमें शिकारियों, कूरियर, बिचौलिये और तस्करों सहित 31 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूर्व में गिरफ्तार सभी आरोपियों को सजा भी हो चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल